वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2021-2022

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

संसदीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
Ministry of Parliamentary Affairs
New Delhi

विषय वस्तु

अध्याय-1 प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना 1

प्रस्तावना 1

संगठनात्मक संरचना 2

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट 3

अध्याय-2 संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान 4

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान 4

सत्र 4

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सत्रहवीं लोक सभा) 6

अध्याय-3 राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश 7

राष्ट्रपति का अभिभाषण 7

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान 8

अध्यादेश 8

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2021 तक प्रख्यापित अध्यादेश 9

अध्याय-4 संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण 13

सरकारी कार्य 13

सरकारी कार्य की आयोजना 13

सरकारी कार्य का प्रबन्धन 14

निष्पादित सरकारी कार्य का सार 15

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव 16

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प 16

सरकारी समय का मुख्य आबंटन 16

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय 17

अन्य गैर-सरकारी कार्य 18

अध्याय-5 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 20

लोक सभा 20

राज्य सभा 21
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:- 21
राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा 21
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख 22
दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 23
दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 23
संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2021 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 23
लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 25
अध्याय – 6 आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण 26
सामान्य प्रक्रिया 26
लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई 28
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन 28
अध्याय-7 लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख 29
नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले 29
नियम 180ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख 29
अनुवर्ती कार्रवाई 30
प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई 30
अध्याय-8 परामर्शदात्री समितियां 31
अध्याय-9 संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान 34
विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन 34
संसद सदस्यों के विदेश दौरे 34
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति 34
विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति 34
अध्याय -10 युवा संसद योजना 35
प्रस्तावना 35

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता 35
केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 36
जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 36
विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता 36
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता 37
"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" के वेब-पोर्टल का शुभारंभ 37
अध्याय-11 मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग 39
राजभाषा कार्यान्वयन समिति 39
हिंदी सलाहकार समिति 39
हिंदी पखवाड़ा 40
हिंदी कार्यशाला 43
अध्याय – 12 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) 44
परिचय 44
नेवा की विशेषताएं 46
योजना का लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना 46
सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल का विकास 47
वेबिनार – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 51
राज्यों में नेवा 55
एक राष्ट्र एक विधायी मंच के लिए प्रधान मंत्री की टिप्पणी 57
नेवा कार्यान्वयन की रीति – अधिकारप्राप्त समिति द्वारा परियोजना की मंजूरी 58
अध्याय – 13 सामान्य 64
सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन 64
हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन 64
संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई 64
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन 65
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई 66

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान 66
अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 66
केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में अभिविन्यास पाठ्यक्रम 66
संसद सदस्य – प्रदान की गई सेवाएं 67
संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क 68
अनुसंधान कार्य 69
बजट की स्थिति 70
वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति 71
दिव्यांजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप 72
स्वच्छता पखवाड़ा 72
लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 72
संविधान दिवस समारोह, 2021 72
परिशिष्ट – 1 84
परिशिष्ट – 2 86
परिशिष्ट – 3 91
परिशिष्ट – 4 93
परिशिष्ट – 5 95
परिशिष्ट – 6 98
परिशिष्ट – 7 107
परिशिष्ट – 8 115
परिशिष्ट – 9 117
परिशिष्ट – 10 124
परिशिष्ट – 11 126
परिशिष्ट – 12 136
परिशिष्ट – 13 139
परिशिष्ट – 14 144

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था जो बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए "भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961" के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू पारण सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 38 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ऑफलाइन मोड की प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त, हाल ही में, भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ - "संविधान दिवस" मनाने के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में

राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया। वेब पोर्टल का उद्देश्य देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंध मजबूत करने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के विदेश दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं:-

1.	श्री प्रल्हाद जोशी, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 30.05.2019 से आगे।
2.	श्री वी. मुरलीधरन, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

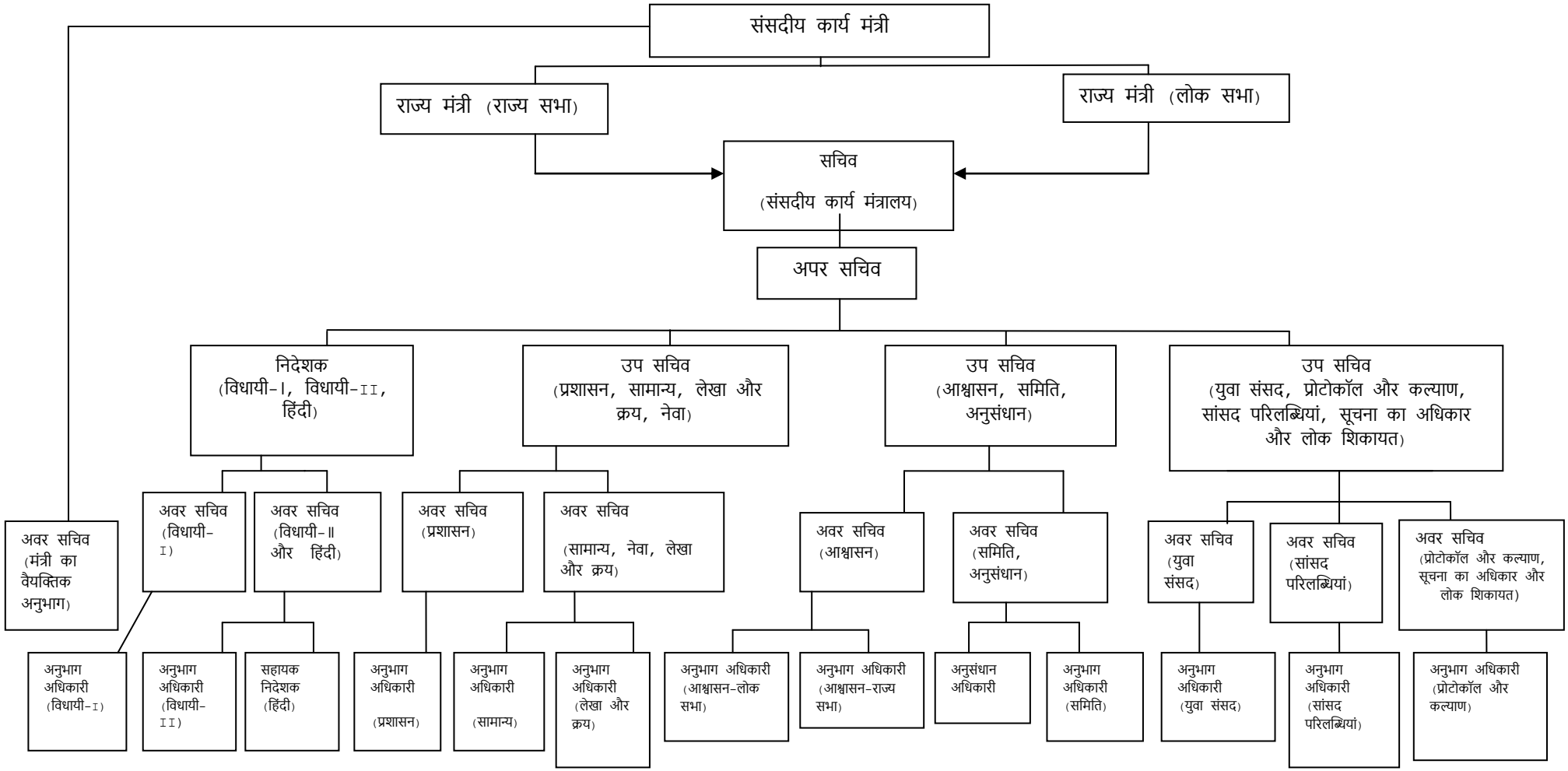

अध्याय-2
संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

- दिनांक 1.1.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान तीन सत्रों (बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र) में लोक सभा और राज्य सभा की क्रमश: 59 और 58 बैठकें हुईं।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते/सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के तीन सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
पांचवां	29 जनवरी, 2021 से 25 मार्च, 2021	24	56
छठा	19 जुलाई, 2021 से 11 अगस्त, 2021	17	24
सातवां	29 नवंबर, 2021 से 22 दिसंबर, 2021	18	24

राज्य सभा			
253वां	29 जनवरी, 2021 से 25 मार्च, 2021	23	56
254वां	19 जुलाई, 2021 से 11 अगस्त, 2021	17	24
255वां	29 नवंबर, 2021 से 22 दिसंबर, 2021	18	24

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
पांचवां	25 मार्च, 2021	29 मार्च, 2021
छठा	11 अगस्त, 2021	31 अगस्त, 2021
सातवां	22 दिसंबर, 2021	24 दिसंबर, 2021
राज्य सभा		
253वां	25 मार्च, 2021	29 मार्च, 2021
254वां	11 अगस्त, 2021	31 अगस्त, 2021
255वां	22 दिसंबर, 2021	24 दिसंबर, 2021

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019	17.06.2019	16.06.2024	----

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3
राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक जिन मामलों का अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 राष्ट्रपति द्वारा कलैंडर वर्ष 2021 के पहले सत्र के आरंभ में **29 जनवरी, 2021** को अभिभाषण दिया गया था। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

सत्रहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्रीमती लॉकेट चटर्जी (प्रस्तावक) डॉ. वीरेन्द्र कुमार (अनुमोदक)	2, 3, 4 और 5 फरवरी, 2021 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 253वां सत्र	
श्री भुबनेश्वर कालिता (प्रस्तावक) श्री विजय पाल सिंह तोमर (अनुमोदक)	3, 4 और 8 फरवरी, 2021 (स्वीकृत)

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने की तारीख से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभावी हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 01.01.2021 से 30.11.2021 की अवधि के दौरान, 10 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। दसों अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक-एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। अध्यादेशों के प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	**अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख**	**सभा पटल पर रखने की तारीख**		**अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुर:स्थापन**	**विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें**		**स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या**
		लोक सभा	**राज्य सभा**		**लोक सभा**	**राज्य सभा**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021	29.01.21	29.01.21	04.02.2021 (राज्य सभा)	13.02.2021	08.02.21	2021 का 2 25.02.2021

	(2021 का संख्यांक 1)						
2	अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 2)	19.07.21	19.07.21	13.02.2021 (लोक सभा)	--	--	02.08.2021 को वापस लिया गया (लोक सभा)
3	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3)	19.07.21	19.07.21	26.07.2021 (लोक सभा)	28.07.2021	03.08.2021	2021 का 26 12.08.2021
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 4)	19.07.21	19.07.21	30.07.2021 (लोक सभा)	04.08.2021	05.08.2021	2021 का 29 13.08.2021
5	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 5)	19.07.21	19.07.21	--	--	--	--
6	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 6)	19.07.21	19.07.21	--	--	--	--
7	आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 7)	19.07.21	19.07.21	22.07.2021 (लोक सभा)	03.08.2021	05.08.2021	2021 का 25 12.08.2021
8	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 8)	29.11.21	29.11.21	06.12.2021 (लोक सभा)	13.12.2021	--	--
9	केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9)	29.11.21	29.11.21	03.12.2021 (लोक सभा)	09.12.2021	14.12.2021	2021 का 46 18.12.2021
10	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10)	29.11.21	29.11.21	03.12.2021 (लोक सभा)	09.12.2021	14.12.2021	--

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2021 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07

1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	16
2020	14	2021	10

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)

दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस(आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979 तक; कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक:

	कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 26 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक)
सत्रहवीं लोक सभा	25 मई, 2019 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 30 मई, 2019 से आगे)

अध्याय-4
संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

<u>एक झलक</u>

- वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 49 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी दो बैठकें 23 जनवरी, 2021 को बजट सत्र, 2021 से पहले और 28 जून, 2021 को मानसून सत्र, 2021 से पहले कोविड-19 महामारी के कारण आभासी माध्यम से आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी चार बैठकें आभासी

माध्यम से आयोजित की गई - एक बैठक 27 जनवरी, 2021 को बजट सत्र, 2021 से पहले, दूसरी बैठक 2 जुलाई, 2021 को मानसून सत्र, 2021 से पहले, तीसरी और चौथी बैठक आभासी माध्यम से क्रमश: 5 अक्तूबर और 27 अक्तूबर, 2021 को शीतकालीन सत्र, 2021 से पहले । प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ तीन बैठकें बुलाई - पहली बैठक दिनांक 30.01.2021 को बजट सत्र, 2021 से पहले, दूसरी बैठक दिनांक 18.07.2021 को मानसून सत्र, 2021 से पहले और तीसरी बैठक दिनांक 28.11.2021 को शीतकालीन सत्र, 2021 से पहले। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा हेतु भाग लेने की तैयारी कर सकें।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में 9 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की क्रमश: 69 और 76 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 132 मदों (लोक सभा - 63, राज्य सभा - 69) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सत्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र और राज्य सभा के 252वें सत्र की समाप्ति पर कुल 36 विधेयक (लोक सभा में 6 विधेयक और राज्य सभा में 30 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 50 विधेयक (42 विधेयक लोक सभा में और 8 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए, जिससे लंबित विधेयकों की कुल संख्या 86 हो गई। इनमें से, दोनों सदनों द्वारा 51 विधेयक (**परिशिष्ट-2**) पारित किए गए। 2 विधेयक (एक विधेयक लोक सभा में और एक विधेयक राज्य सभा में) वापस लिए गए। सत्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र की समाप्ति पर, संसद के दोनों सदनों में कुल 33 विधेयक (लोक सभा में 9 विधेयक और राज्य सभा में 24 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों, सदनों में प्रस्तुत किए गए और पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें भेजे गए मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और मूल दीर्घकालीन नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, केंद्रीय बजट (रेल सहित) पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्रस्तुत, विचार और स्वीकृत किए गए सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विषय	**तारीख (तारीखें)**	**लोक सभा**		**तारीख (तारीखें)**	**राज्य सभा**	
		लिया गया समय			**लिया गया समय**	
		घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
-	-	-	-	-	-	-

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय

के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
(i)	विधायी	66	54	68	25	28.39%	32.74%
(ii)	वित्तीय	40	15	21	25	17.08%	10.24%
(iii)	गैर-वित्तीय	128	28	119	07	54.52%	57.00%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	बैठक का कुल वास्तविक समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
पांचवां (17वीं लोक सभा)	131	56	33	09	20.08%
छठा (17वीं लोक सभा)	20	21	78	14	79.35%
सातवां (17वीं लोक सभा)	83	20	36	45	30.60%
कुल	235	37	148	08	38.60%
राज्य सभा					
253वां	59	02	17	21	22.71%
254वां	104	22	22	24	17.67%
255वां	45	33	50	02	52.34%
कुल	208	57	89	47	30.12%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। 6 अल्पावधि चर्चाएं हुई (3 लोक सभा में और 3 राज्य सभा में)।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या

(वर्ष 1952 से 2021 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38

1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	67	65	49
2020	33	33	39	2021	59	58	51

अध्याय-5
गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 31.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	**विषय और सदस्य**	**संबंधित मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**
				घंटे मिनट
1	डॉ. बी.वी. सत्यवती ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला उठाया।	महिला और बाल विकास	08.03.2021	00 - 26 (चर्चा पूरी नहीं हुई)
2	श्री विनायक भाउराव राउत ने कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का मामला उठाया।	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	02.12.20221 03.12.2021	12 - 26 (चर्चा पूरी हुई)
3	श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि ने जलवायु परिवर्तन का मामला उठाया।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	08.12.2021	02 - 37 (चर्चा पूरी नहीं हुई)

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	कोविड-19 महामारी के प्रबंधन, टीकाकरण नीति के कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर की चुनौतियों पर चर्चा। (श्री मल्लिकार्जुन खड़गे)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	20.07.2021	03	42 (चर्चा पूरी नहीं हुई)
2.	कृषि संबंधी समस्याओं और समाधान पर चर्चा। (श्री विजय पाल सिंह तोमर)	कृषि और किसान कल्याण	10.08.2021	00	12 (चर्चा पूरी नहीं हुई)
3.	देश में कोविड-19 विषाणु के ओमीक्रोन वेरिएंट के मामलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (श्री जी.के. वासन)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	15.12.2021 20.12.2021	00	54 (चर्चा पूरी हुई)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
शून्य -					

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट
1.	जल शक्ति	15.03.2021, 16.03.2021	03 -	51
2.	रेल	17.03.2021	03 -	23
3.	पर्यटन	19.03.2021	03 -	15

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचारण और पारण हेतु सूचीबद्ध हुए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकें की:-

क्र.सं.	**संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की तारीख**	**प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया**
1	01.01.2021	(i) बजट सत्र, 2021 का बुलाया जाना।
2	25.03.2021	(ii) बजट सत्र, 2021 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (iii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
3	25.06.2021	(i) मानसून सत्र, 2021 का बुलाया जाना।
4	26.08.2021	(i) मानसून सत्र, 2021 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
5	01.11.2021	(i) शीतकालीन सत्र, 2021 का बुलाया जाना।
6	22.12.2021	(ii) शीतकालीन सत्र, 2021 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (iii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।

5.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 167 विधेयक (145 विधेयक लोक सभा में और 22 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019	12.07.2019 27.07.2019 22.11.2019 03.12.2021	अनिर्णीत
राज्य सभा			
1.	डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019	3.12.2021	अनिर्णीत

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री रितेश पांडेय, संसद सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी उपाय।	20.03.2020 12.02.2021 19.03.2021	अनिर्णीत
राज्य सभा			
- शून्य -			

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2021 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952	1954 का 29

	(श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
	(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक	
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963	1969 का 36

	(श्री दीवान चमन लाल)	07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रह्लाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

अध्याय - 6
आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 608 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 248 आश्वासन निकाले गए।
- लोक सभा में दिए गए 1386 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 508 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में 64 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय, इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होने की संभावना होती है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 608 आश्वासन निकाले गए। इनमें से 169 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा कोई भी आश्वासन छोड़ा नहीं गया, 40 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा आश्वासन नहीं माना गया और शेष 399 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 1386 आश्वासनों (2021 से संबंधित 169 आश्वासनों सहित) से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा गया, 113 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया और 60 (2021 से संबंधित 40 आश्वासनों सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा आश्वासन नहीं माना गया। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए 248 आश्वासनों में से, 80 को सभा के पटल पर रखा गया, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा 2 आश्वासनों को छोड़ दिया गया और 13 आश्वासनों को आश्वासन नहीं माना गया तथा शेष 153 आश्वासन लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 572 आश्वासनों (2020 से संबंधित 80 आश्वासनों सहित) के कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (64 आंशिक सहित), को भी सभा पटल पर रखा गया, 65 आश्वासनों (2021 से संबंधित 2 आश्वासनों सहित) को छोड़ दिया गया और 13 (वर्ष 2021 से संबंधित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा आश्वासन नहीं माना गया। वर्ष 2008 से 2021 के दौरान दिए गए/पूरे किए गए/छोड़े गए/नहीं माने गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष आश्वासनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या			कुल	शेष आगे ले जाया गया – 4	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप	छोड़ दिए गए		शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)	8
2008	1109	1009	97	3	1109	0	100.00
2009	1298	1122	166	1	1289	9	99.31
2010	1602	1506	72	10	1588	14	99.13
2011	1904	1703	124	48	1875	29	98.48
2012	1950	1721	144	59	1924	26	98.67
2013	1108	978	113	0	1091	17	98.47
2014	1461	1264	140	6	1410	51	96.51
2015	1332	1171	81	29	1281	51	96.17
2016	1303	1106	73	43	1222	81	93.78
2017	854	697	54	28	779	75	91.22
2018	693	533	37	42	612	81	88.31
2019	1060	739	42	23	804	256	75.85
2020	374	220	6	22	248	126	66.31
2021	608	169	0	40	209	399	34.38
	16656	**13938**	**1149**	**354**	**15441**	**1219**	**92.71**

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या			कुल	शेष आगे ले जाया गया – 9	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप	छोड़ दिए गए		शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)	8
2008	680	561	45	70	676	4	99.41
2009	1018	859	72	85	1016	2	99.80
2010	1082	935	73	62	1070	12	98.89
2011	1003	824	78	91	993	10	99.00
2012	1118	919	148	38	1105	13	98.84
2013	688	585	79	19	683	5	99.27
2014	1190	997	152	19	1168	22	98.15
2015	907	666	89	113	868	39	95.70
2016	991	593	38	303	934	57	94.25
2017	484	297	10	143	450	34	92.98
2018	414	266	10	86	362	52	87.44
2019	410	250	2	76	328	82	80.00
2020	165	102	6	0	108	57	65.45
2021	248	80	2	13	95	153	38.31
	10398	**7934**	**804**	**1118**	**9856**	**551**	**94.79**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्मरण कराते हुए आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए इस अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने सदन में अपना 13वां, 14वां, 15वां, और 16वां प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2021 को, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2021 को, 21वां 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां और 30वां प्रतिवेदन दिनांक 09.03.2021 को, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, 36वां, 37वां और 38वां प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2021 को, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां और 44वां प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2021 को, 45वां, 46वां और 47वां प्रतिवेदन दिनांक 03.08.2021 को, 48वां, 49वां, 50वां और 51वां प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2021 को तथा 52वां और 53वां प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 74वां प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2021 को और 75वां प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2021 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

अध्याय-7
लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2020 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 57 मामले और राज्य सभा में 277 विशेष उल्लेख लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम नियम 377 के अंतर्गत 1205 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 187 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 2712 मामलों में से 2265 मामलों के उत्तर दिए जा चुके है और 447 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 1125 विशेष उल्लेखों में से 913 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 212 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों के लिए इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 30 मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

नियम 180ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नियम 377 के अधीन लोक सभा में 1205 मामले उठाए गए जिससे 17वीं लोक सभा के दौरान उठाए गए मामलों की कुल संख्या 2712 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2021 तक 2265 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 447 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, दिनांक 31.12.2020 को 277 मामले लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विशेष उल्लेख के तहत 187 मामले उठाए गए जिससे लंबित मामलों की कुल संख्या 1125 हो गई। इनमें से दिनांक 31.12.2021 तक 913 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेजे जा चुके हैं और शेष 212 मामले लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानत: उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्रवाई, जैसी कि अपेक्षित समझी जाए, के लिए भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

7.6 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 1360 मामले (लोक सभा: 1137, राज्य सभा: 223) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 7 मामले (लोक सभा: 2, राज्य सभा: 5) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8
परामर्शदात्री समितियां

<u>एक झलक</u>

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 38 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 68 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा का उद्गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थी।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श की गई और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं **(परिशिष्ट-7)**।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) यदि किसी सदस्य को किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि हो तो उसे उस मंत्रालय/विभाग की परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य हैं।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और कोई भी अपेक्षित स्पष्टीकरण देने के लिए बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सत्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 38 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय (**परिशिष्ट-9)** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम जिससे परामर्शदात्री समिति संबद्ध है**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	9 जनवरी, 2021 को सूरत, गुजरात में
2.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	9 और 10 सितंबर, 2021 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में
3.	रक्षा मंत्रालय	21 और 22 अक्तूबर, 2021 को बंगलूरू में
4.	इस्पात मंत्रालय	14 और 15 नवंबर, 2021 को केवडिया, गुजरात में
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	19 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी (असम) में
6.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	19 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी (असम) में
7.	वस्त्र मंत्रालय	20 नवंबर, 2021 को इंफाल (ई) (मणिपुर) में

अध्याय–9
संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए नि:संदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, न तो किसी शिष्टमंडल ने विदेश का दौरा किया और न ही कोई शिष्टमंडल भारत आया।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.2 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं।

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 2 संसद सदस्यों (लोक सभा) ने अपने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.4 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में, जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता है, गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.5 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

अध्याय -10
युवा संसद योजना

एक झलक:

- केंद्रीय विद्यालयों के लिए 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का परिणाम घोषित किया गया।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का परिणाम घोषित किया गया।
- "राष्ट्रीय युवा संसद योजना" के वेब-पोर्टल पर 7996 संस्थाओं ने पंजीकरण कराया है।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2019 में, इस मंत्रालय द्वारा युवा संसद कार्यक्रम की दायरे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया था। सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार, मंत्रालय दिल्ली के विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को व्यय की प्रतिपूर्ति करने के अलावा युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.2 कोविड-19 महामारी के कारण, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के तहत विद्यालयों के लिए वर्ष 2021 के दौरान आयोजित की जाने वाली 55वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन अभी किया जाना है।

केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

32वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन

10.3 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 32 संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। 32वीं युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया गया। केन्द्रीय विद्यालय, एस.ई.सी.एल, नवरोजाबाद, उमरिया, मध्य प्रदेश को 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया।

कोविड -19 महामारी के कारण, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, जो 2021 में आयोजित होने वाली थी, का आयोजन किया जाना शेष है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

23वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन

10.4 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक प्रतियोगिता के 23 संस्करण संपन्न हो चुके हैं। 23वीं युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय, अल्लेप्पी, केरल को 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया।

कोविड-19 महामारी के कारण, जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, जो वर्ष 2021 के दौरान आयोजित होनी नियत थी, का आयोजन अभी किया जाना है।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.5 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में कुल 15 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.6 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की ग्रुप स्तर की प्रतियोगिता के लिए ग्रुप समन्वयकर्ता नियुक्त किए गए। उनसे अपने-अपने ग्रुपों की ग्रुप स्तर की प्रतियोगिता पूरी होने पर इस मंत्रालय को ग्रुप स्तर की प्रतियोगिता की रिपोर्ट और परिणाम भेजने के लिए कहा गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.7 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुरोध पर एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से अपने-अपने राज्य में 2019-20 के दौरान और ओडिशा से 2018-19 के दौरान युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

10.8 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 'युवा संसद प्रतियोगिता' आयोजित करने और योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" के वेब-पोर्टल का शुभारंभ

10.9 राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को किया गया था। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

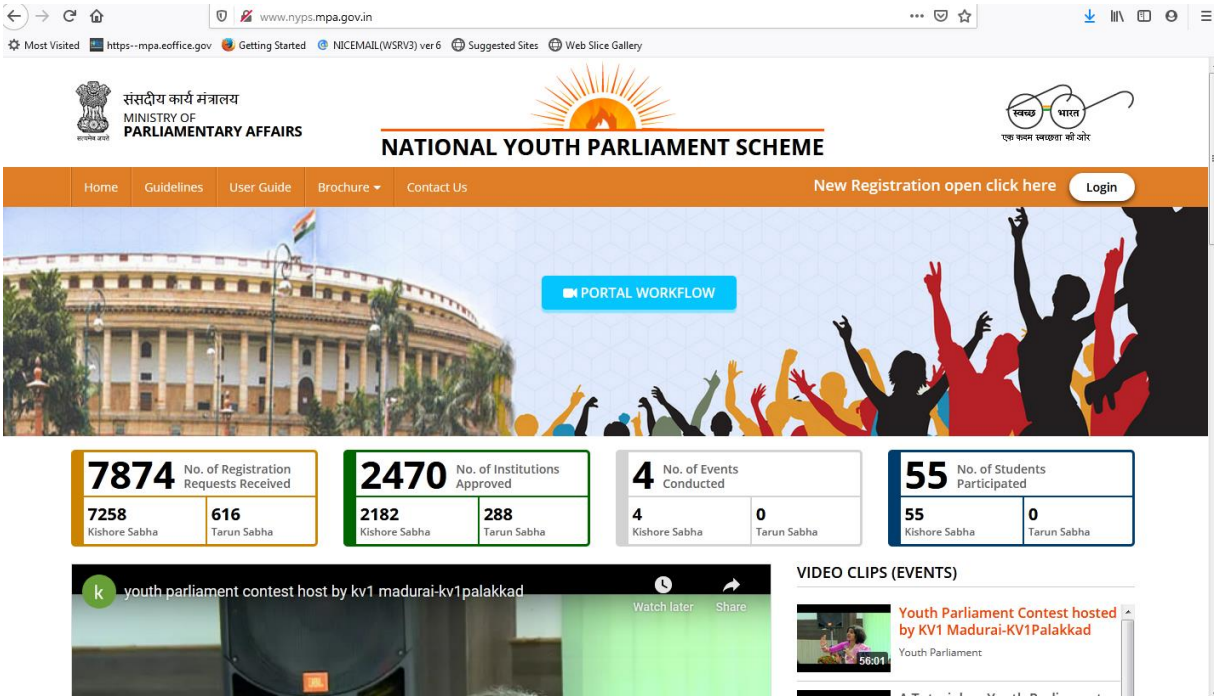

10.10 युवा संसद कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल पर 7996 संस्थाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख को 30 जून, 2022 तक बढ़ाया गया है। यह अनुमान है कि युवा संसद कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए पोर्टल पर ~10,000 संस्थाएं अपना पंजीकरण कराएंगी। अत: वेब-पोर्टल से युवा संसद कार्यक्रमों में प्रतिभागिता कई गुणा बढ़ी है।

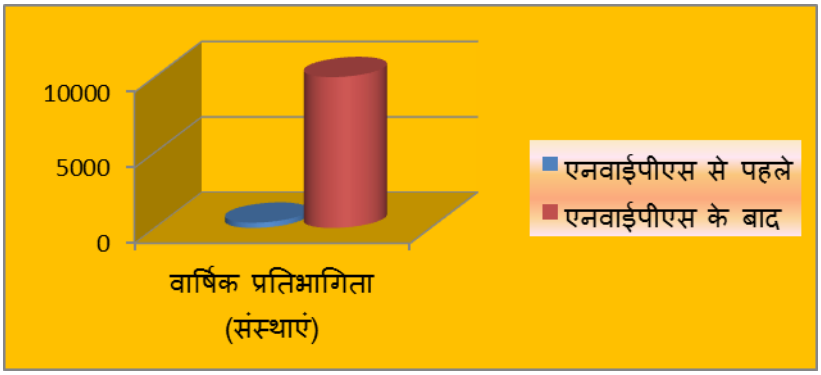

अध्याय-11
मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिंदी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार आभासी बैठकें दिनांक 12.03.2021, 28.06.2021, 07.09.2021 और 17.12.2021 को आयोजित की गई। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिंदी सलाहकार समिति

11.5 हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, समिति की दो आभासी बैठकें दिनांक 12.01.2021 और 24.06.2021 को आयोजित की गई।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी 24 जून, 2021 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सात अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

11.7 मंत्रालय में 01 से 14 सितंबर, 2021 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान, मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए अपील जारी की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित चार प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिंदी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; और
4. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

11.8 हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 17 सितंबर, 2021 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 24 अधिकारियों/कर्मचारियों **(परिशिष्ट-10)** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए।.

11.9 संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2020-21 के राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2021 को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने माननीय गृह और सहकारिता मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किया था।

श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2021 को माननीय गृह और सहकारिता मंत्री से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

11.10 अनुसंधान प्रकोष्ठ और नेवा प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	आश्वासन अनुभाग (लोक सभा)	100%
3.	आश्वासन अनुभाग (राज्य सभा)	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-।। अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%

10.	विधायी-I अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिंदी कार्यशाला

11.11 मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मंत्रालय में 25 से 29 अक्तूबर, 2021 तक एक हिंदी कार्यशाला संचालित की गई। इस कार्यशाला में आठ कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

अध्याय – 12
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन **(नेवा)**

एक झलक

1. नेवा का परिचय
2. नेवा की विशेषताएं
3. योजना का लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना
4. सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल विकास
5. वेबिनार - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
6. राज्यों में नेवा
7. प्रधानमंत्री की टिप्पणी
8. नेवा कार्यान्वयन में आगे की योजना

परिचय

- भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाना है। लोगों को मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट की मदद से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह वास्तव में कागजी कार्रवाई को कम करके सरकारी प्रशासन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच की खाई को दूर करना है। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए डिजिटल अवसंरचना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, शासन और मांग पर सेवाएं। डिजिटल विधायिका को देश भर के विधायी संस्थानों में, चाहे वह केंद्र का हो या राज्यों का, उनके मुख्य कार्यों और प्रचालनों को सुधारने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आईसीटी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ई-लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मदद करता है और लोकतांत्रिक और सामाजिक-आर्थिक प्लेटफार्मों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह विधायी सदनों (संसद या विधान सभाओं) के सदस्यों और आम नागरिकों के बीच परस्पर संवाद को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण की सुविधा भी प्रदान करता है, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है, सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता की अनुमति देता है और नागरिकों को अपनी शासी प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए सरकारी प्रयासों की लागत को कम करने की सुविधा भी प्रदान करता है। सदस्यों के लिए डिजिटल विधानमंडल में डिजिटल सदन, सदस्यों का पोर्टल, मोबाइल/टैबलेट ऐप (आईओएस, एंड्रॉइड) शामिल हैं।

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है जो मंत्रिमंडल से अनुमोदित है। सर्वोच्च समिति ने 15 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में ई-विधान और ई-संसद एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 'नोडल मंत्रालय' बनाने का निर्णय लिया था और नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एन.आई.सी.) के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 37 सदनों और संसद के दोनों सदनों अर्थात लोक सभा और राज्य सभा में ई-विधान/ई-संसद, जिसे अब राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का नाम दिया गया है, को प्रोत्साहित और शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया। डिजिटल इंडिया संबंधी सर्वोच्च समिति ने दिनांक 16.6.2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि ई-विधान के लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात, रू.673.94 करोड़ के कुल उपरिव्यय के साथ नेवा एमएमपी को 15 जनवरी, 2020 को लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी इसे 27 जनवरी, 2020 को अनुमोदित किया जा चुका है। नेवा एमएमपी को वित्त मंत्री द्वारा भी दिनांक 05.02.2019 को अनुमोदित किया जा चुका है। नेवा परियोजना के अनुमोदन हेतु पीआईबी की बैठक में वित्त मंत्रालय ने नेवा प्लेटफार्म में न्यूनतम परिवर्तनों के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक प्रावधान करने और साफ्टवेयर विकास की पूरी प्रक्रिया पुनः दोहराने से बचने की सिफारिश की थी।

- इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लाने से कागजों पर भारी बचत होती है (लगभग 340 करोड़ सालाना), जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) -15 "लाइफ ऑन अर्थ" को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाना होगा।

- हिमाचल प्रदेश विधानसभा अगस्त, 2014 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 8.12 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ प्रायोगिक परियोजना के निष्पादन के बाद पेपरलेस होने वाली पहली विधानसभा थी। इसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा कागज पर खर्च किए जाने वाले लगभग 5.08 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होती है, जिससे सालाना ~6000 पेड़ों की बचत होती है।

- नेवा का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना और ऐसा करके अनेक एप्लिकेशनों की जटिलता के बिना एक बृहत डेटा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का सृजन करना है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का उद्देश्य देश में कागज रहित विधानमंडल बनाने के लिए सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह, सदन के पटल पर दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना और सभी हितधारकों के बीच सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान-प्रदान करना है। यह डेटा विश्लेषण, सूचना प्रसंस्करण और सभी राज्य विधानमंडलों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण भी उपलब्ध कराएगा। अपने प्रमुख हितधारकों यानी संबंधित विधानमंडलों के सदस्यों को सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के प्रमुख मिशनों में से एक है।

- केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा, कार्य की प्रगति के मूल्यांकन और परियोजना निष्पादन टीम को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होगी और नए निदेशों/प्रस्तावों के लिए भी जिम्मेदार होगी तथा इसके सुचारू उत्थान तथा उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोजन हेतु देश में किसी अन्य विधानमंडल में अन्यत्र चल रहे कार्य के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करेगी। सीपीएमयू, राज्य स्तरीय परियोजना निगरानी इकाइयों (एसपीएमयू) के अनुरोध पर कार्यान्वयन एजेंसी को निधि जारी करने की सिफारिश करेगी।

नेवा की विशेषताएं

- नेवा को एक सदस्य केंद्रित, उपकरण तटस्थ और प्रयोक्तानुकूल ऐप के रूप में कार्य करने, सदस्यों के पास उपलब्ध उपकरणों/टेबलेट में उनके द्वारा वांछित समस्त सूचना उपलब्ध कराके सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने योग्य बनाने और विधानमंडलों/विभागों की सभी शाखाओं को इस पर दक्षतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने तथा एक कुशल, समावेशी डेटाबेस तैयार करने और सीधे प्रसारण की सुविधा सहित हमारे विधानमंडलों के कार्य करने के तरीके में सुधार करने के लिए विकसित किया गया है।

- नेवा एक सामान्य डिजिटल एप्लिकेशन है जिसे नेशनल क्लाउड-मेघराज पर होस्ट किया गया है, जिसमें सभी विधानमंडलों के लिए रखरखाव, सुरक्षा और आपदा पुन:प्राप्ति शामिल है।

- नेवा मोबाइल ऐप पर सभी मंत्री/सांसद दैनिक कार्यवाहियों के प्रारंभ से एक निश्चित अवधि पूर्व प्रश्नों के उत्तरों, सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों सहित सदन के समस्त कार्य की जानकारी पा सकेंगे जबकि माननीय अध्यक्ष सदन का समस्त कार्य उसी समय प्राप्त कर सकेंगे जैसे ही वह सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपलब्ध होगा।

- सदन के भीतर, नेवा डिजिटल हाऊस मॉड्यूल सदस्य के डेस्क पर स्थापित टच-स्क्रीन उपकरण पर सदस्य के लॉगिन के माध्यम से सुलभ एक डिजिटल ई-बुक प्रारूप का समर्थन करेगा। डिजिटल हाऊस मॉड्यूल सदन को डिजिटल रूप से चलाने के साथ-साथ ई-मतदान और ई-उपस्थिति को सक्षम करेगा।

- नेवा विधानमंडलों द्वारा अपने सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों, समाचारों जैसी समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध कराएगी। संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, सभापटल पर रखे जाने वाले सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति की रिपोर्टों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सार, अस्थायी कलैंडर और मंत्रालयों के रोटेशन, समाचारों और प्रेस विज्ञप्तियों और संदर्भ सामग्री, समिति की बैठकों, उनकी कार्यसूची सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसे कि वेतन और भत्तों इत्यादि से संबंधित सूचना नेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस एप्लिकेशन पर लाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा भी उपलब्ध है।

- नेवा हाउस मैनेजमेंट एप्लिकेशन और ई-बुक के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों को सदन के प्रबंधन में भी मदद करेगा। माननीय मंत्री, जिन्हें सदन में उत्तर देना होता है, प्रशासनिक सचिवों से अपने मोबाइल/ई-बुक पर पूरक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

योजना का लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना

योजना की अधिसूचना, दिशा-निर्देश और समझौता ज्ञापन जारी किया जा चुका है और ये नेवा की वेबसाइट (https://www.neva.gov.in) के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mpa.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

ई-विधान को शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर सर्वोच्च समिति द्वारा सशक्त किए गए रूप में, भारत सरकार ने सभी विधायी सदनों के कार्यचालन को कागज रहित बनाने के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)," डिजिटल विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में एक नई केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और नेवा परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि राज्य विधानमंडलों को खुद को "डिजिटल सदन" में परिवर्तित करने में मदद मिल सके और वे राज्य सरकार के विभागों के साथ कागज रहित रूप में सूचना के आदान-प्रदान सहित समस्त सरकारी कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर निष्पादित कर सकें। योजना के तहत सहायता परियोजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों, नियमों और शर्तों द्वारा शासित की जाएगी। भारत सरकार के वित्त पोषण का हिस्सा रू.4,23.60 करोड़ होगा।

सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल का विकास

सीपीएमयू, नेवा विधानमंडलों, सदस्यों और एप्लिकेशन के विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण उपायों पर लगातार काम करती रही है। इसे सरल बनाने के लिए, इसने हितधारकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रस्तुतियां और छोटे-छोटे शिक्षाप्रद वीडियो तैयार किए हैं। हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।

विभिन्न एप्लिकेशनों के लिए विकसित किए गए मॉड्यूल्स:

(i) मास्टर डाटा

यह दस्तावेज विशेष तौर पर एडमिन और सुपर एडमिन की भूमिका से संबंधित है और विस्तार से इनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। इसमें कार्यप्रवाह आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एप्लिकेशन में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित संपूर्ण मास्टर डाटा की प्रविष्टि के साथ उपयोगकर्ता का संपूर्ण कामकाज शामिल है।

(ii) प्रयोगकर्ता प्रबंधन

यह मॉड्यूल कदम दर कदम प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसके माध्यम से एक भावी उपयोगकर्ता/हितधारक एकीकृत और बहु-हितधारक नेवा प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए खुद को नेवा प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले नेवा प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए। इसमें उपयोगकर्ता को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है। इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम यूजर आईडी (नेवा आईडी) और पासवर्ड के साथ उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत/विशिष्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स के सृजन के रूप में सामने आता है।

(iii) मोबाइल एप्लिकेशन

यह मॉड्यूल राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की मोबाइल एप्लिकेशन से संबंधित है। यह भारत के किसी भी राज्य के विधानमंडल संबंधी सूचनाओं तक पहुँचने के लिए एकल मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप एन्ड्रॉएड के साथ-साथ आईओएस मोबाइल उपकरणों के लिए उपलब्ध है। मोबाइल ऐप को मोबाइल फोन के साथ ही टैबलेट उपकरणों में भी स्थापित किया जा सकता है। सभी राज्यों के विधानमंडलों के माननीय सदस्य अपने-अपने राज्य विधानमंडल को सभी प्रकार के विधायी नोटिस/प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए एक ही ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

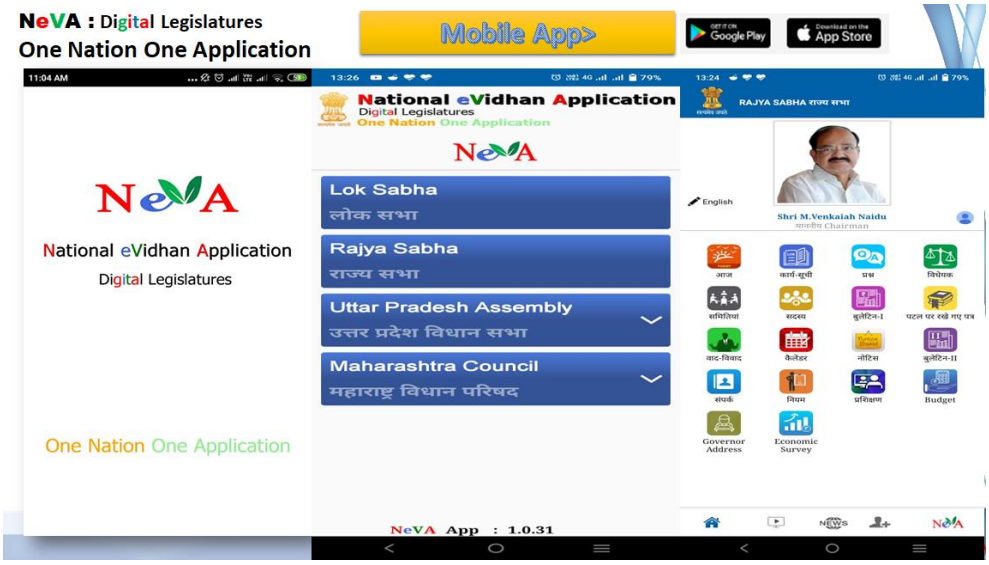

मोबाइल एप्लिकेशन - नेवा

(iv) विभाग लॉगिन रिप्लाई

यह मॉड्यूल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिका से संबंधित है। नेवा सरकारी विभागों को प्रश्न/नोटिस आदि के ऑनलाइन उत्तर देने की सुविधा प्रदान करता है और ऐसे सभी विभागों को विधानमंडलों के साथ परस्पर संवाद के संदर्भ में उन्हें कार्यचालन के एक साझा मंच पर लाकर उनके कामकाज को कागज-रहित बनाता है। नेवा विधेयकों, कागज-पत्रों आदि को सभा पटल पर डिजिटल रूप में रखने में सरकारी विभागों को सक्षम बनाता है। यह खंड उपयोगकर्ता विभाग की भूमिका के बारे में बताता है जिसमें उनके विधानमंडल में उठाए गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर का प्रारूपण शामिल है। इसमें नोटिसों के जवाब भेजना भी शामिल है। नेवा का यह मॉड्यूल विभागों को सभी उत्तर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाता है।

(v) विधेयक प्रबंधन प्रणाली

इस मॉड्यूल को "विधेयक प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल" नाम दिया गया है। एक विधेयक किसी विधानमंडल के विचाराधीन एक प्रस्तावित विधान होता है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक कि उसे विधानमंडल द्वारा पारित न कर दिया जाए और ज्यादातर मामलों में कार्यपालिका द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। यह मॉड्यूल नेवा प्लेटफॉर्म के संभावित उपयोगकर्ताओं को उस प्रक्रिया के बारे में प्रथम सूचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से एक हितधारक/उपयोगकर्ता अपने आपको नेवा प्लेटफॉर्म पर विधेयक प्रबंधन के विभिन्न चरणों में व्यस्त रख सकता है, अर्थात जिन चरणों के माध्यम से एक "संभावित विधेयक" आखिरकार "अधिनियम" बनता है। विधेयक प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों/उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएं, कर्तव्य, शक्तियां, कार्य आदि भिन्न-भिन्न होती हैं। यह मॉड्यूल इस बात की जानकारी देता है कि विभिन्न हितधारकों को कैसे एकीकृत किया जाता है और सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है और इस तरह से इन हितधारकों को उस पूरी ऑनलाइन/वेब-आधारित प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करता है जिसके माध्यम से विधेयक एक अधिनियम बनता है। सदनों में पारित होने के बाद विधेयक ई-राजपत्र में अपनी अधिसूचना के बाद सार्वजनिक वेबसाइट में स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाता है और सार्वजनिक डोमेन में उपयोगकर्ताओं की पहुंच में होता है।

(vi) कार्यसूची

यह दस्तावेज़ कार्यसूची के निर्माण से संबंधित है, जो सत्र के किसी दिन विशेष की कार्यसूची होती है। कार्यसूची निर्माण के लिए उपयोगकर्ता डैशबोर्ड (एलओबी सीएमएस) में लॉगिन करता है और कार्यसूची तैयार करता है जिसमें वे सभी महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं जो किसी विशेष दिन पर सदन में होने होते हैं। तैयार की गई कार्यसूची को अंतिम अनुमोदन के लिए विधानसभा सचिव को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद इसे सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस कार्यसूची का सत्र की एक विशेष तारीख के लिए सदन के कामकाज में शामिल सदस्यों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्रकाशित कार्यसूची को बिजनेस टैब के तहत देखा जा सकता है जहां सत्र और संबंधित तिथियों का चयन किया जा सकता है, इस प्रकार संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यसूची को सूचीबद्ध किया जाता है।

(vii) रिपोर्टर्स मॉड्यूल

रिपोर्टर्स मॉड्यूल सदन की कार्यवाहियों के शब्दश: रिकार्ड तैयार करने के लिए एक कार्य प्रवाह आधारित वेब एप्लिकेशन है। किसी भी अनुसूचित भाषा में शब्दशः रिकार्ड तैयार करना संभव है। रिपोर्टर्स मॉड्यूल निम्नलिखित कार्यशीलता प्रदान करता है:

- ✓ प्रमुख द्वारा रिपोर्टरों को टाइम स्लॉट (पारी) सौंपना।
- ✓ पारी-वार फाइलें तैयार करना
- ✓ पारियों का विलय
- ✓ प्रमुख रिपोर्टर को पारी सौंपना
- ✓ प्रमुख रिपोर्टर द्वारा पारियों का पुनरीक्षण
- ✓ सभी पारियों का विलय
- ✓ सार्वजनिक पोर्टल पर हर घंटे शब्दश: कार्यवाही का प्रकाशन
- ✓ सार्वजनिक पोर्टल पर दिनों की कार्यवाहियों का प्रकाशन।

(viii) समिति प्रबंधन प्रणाली

यह एप्लिकेशन केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार की विधायी शाखा के कामकाज को सरल बनाती है। समिति प्रणाली विधान का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन समितियों के कामकाज के लिए डिजिटल प्रणाली प्रदान करती है। नेवा समिति प्रबंधन मॉड्यूल तक नेवा सीएमएस लॉगिन के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। यह दस्तावेज़ समिति प्रबंधन मॉड्यूल के उपयोग की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करता है। यह समिति प्रबंधन मॉड्यूल पर काम करने के लिए नेवा उपयोगकर्ता का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन करता है।

(ix) प्रश्न संसाधन

यह खंड विधानमंडल स्तर पर नोटिस/प्रश्न संसाधन में शामिल विभागों के कामकाज का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें एक नया प्रश्न/नोटिस प्रविष्ट करना, उस प्रश्न के लिए टंकक निर्दिष्ट करना, प्रश्न के आगे विवरण की प्रविष्टि करना, प्रूफ़ रीडिंग के लिए भेजना, सचिव अनुमोदन और संबंधित प्रश्न का पीडीएफ जेनरेट करने के लिए अनुवादक शामिल हैं। ये सभी विभाग इस साझा सीएमएस नेवा एप्लिकेशन के तहत काम करते हैं, जो सदन में उठाए गए प्रश्न तक बिना अड़चन के मुक्त पहुँच प्रदान करते हैं।

(x) डिजिटल सदन

नेवा डिजिटल सदन, नेवा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) का एक हिस्सा है और इसे राज्य विधानमंडल की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल (कागज रहित) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेवा ई-बुक को विज़ुअल स्टूडियो 2017 और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर एमवीसी आर्कीटेक्चर, सिग्नल-आर कोर, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, जेसन, बूटस्ट्रैप इत्यादि में asp.net कोर 2.2 (माइक्रोसॉफ्ट की एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी) के माध्यम से विकसित किया गया है। परियोजना "नेवा डिजिटल हाऊस" एक एप्लिकेशन सूट है, जिसमें प्रमुख मॉड्यूल निम्न प्रकार हैं:

डिजिटल	**सदन**	ई-बुक
		कार्य नियंत्रक
		डिजिटल डिस्प्ले
		ई-मतदान
		ई-उपस्थिति
		सदन उत्पादकता रिपोर्ट
		टाक टाइम प्रबंधन
		अध्यक्ष पैड
		मंत्री पैड

डिजिटल सदन मॉड्यूल द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाते हैं:-

- ✓ डिजिटल ई-बुक का उपयोग करते हुए सभी कागज-पत्रों का डिजिटल रूप में सभापटल पर रखा जाना।
- ✓ इलेक्ट्रॉनिक पैड का उपयोग करते हुए अध्यक्ष (सभापति) और सचिव के बीच संचार।
- ✓ सदन की कार्यवाहियों के दौरान टिप्पणियों के आदान-प्रदान के लिए मंत्री और प्रशासनिक सचिवों के बीच संचार।
- ✓ कार्यसूची की किसी मद पर ई-मतदान।
- ✓ सदस्यों की ई-उपस्थिति।
- ✓ कार्य नियंत्रक मॉड्यूल।
- ✓ कार्यसूची की मदों की डिजिटल प्रदर्शन प्रणाली।
- ✓ अध्यक्ष का टाक-टाइम प्रबंधन।

वेबिनार – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

ऑनलाइन मोड के माध्यम से वेबिनार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला, कोविड-19 महामारी के कारण आपदा से उत्पन्न अवसर के रूप में वर्ष 2021 में भी जारी रही। इस महामारी ने विधानमंडलों के डिजिटलीकरण हेतु नेवा प्लेटफार्म को कार्यान्वित करने के लिए सीपीएमयू और इसके हितधारकों की मजबूत इच्छा में बाधा नहीं डाली। प्रत्येक मास के दौरान विभिन्न विधानमंडलों के लिए विभिन्न विशेष प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें उनके अधिकारियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस तरह के कुछ वेबिनार नीचे सूचीबद्ध हैं-

- वर्ष 2021 की शुरुआत ओडिशा विधान सभा में नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति पर ओडिशा सरकार और विधान सभा के अधिकारियों के साथ सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा बैठक के साथ हुई।

- माननीय अध्यक्ष, ओडिशा विधान सभा, डॉ. सूर्य नारायण पात्रो की अध्यक्षता में ओडिशा विधान सभा में सीपीएमयू, नेवा टीम द्वारा एक नेवा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ओडिशा विधानसभा और ओडिशा सरकार के 100 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला ने ओडिशा विधान सभा को अपना वित्तीय बजट इलेक्ट्रॉनिक और पेपरलेस तरीके से पेश करने में मदद की (15-16 फरवरी, 2021)।

माननीय डॉ. सूर्य नारायण पात्रो, माननीय अध्यक्ष, ओडिशा विधान सभा द्वारा कार्यशाला का आयोजन

- मार्च, 2021 में आयोजित वेबिनार के माध्यम से, ओडिशा विधान सभा के अधिकारियों को कार्यशाला और प्रशिक्षण की एक श्रृंखला में प्रशिक्षित किया गया, जिसमें इन अधिकारियों को विभिन्न मॉड्यूल प्रदर्शित किए गए। (2, 16 मार्च, 2021)
- तमिलनाडु के अपर मुख्य सचिव (आईटी) ने सचिव, तमिलनाडु विधानसभा के साथ तमिलनाडु विधान सभा में नेवा के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए संसद भवन (सीपीएमयू) का दौरा किया। (12 मार्च, 2021)
- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने तमिलनाडु में नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में फरवरी, 2021 के दौरान मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (आईटी) के साथ समीक्षा बैठक की।

डॉ. आर.एस. शुक्ल, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और डॉ. सत्य प्रकाश, तत्कालीन संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 19 फरवरी, 2021 को श्री राजीव रंजन, मुख्य सचिव, श्री हंस राज, अपर मुख्य सचिव (आईटी), श्री के. श्रीनिवासन, विधानसभा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ तमिलनाडु में नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति पर समीक्षा बैठक लेते हुए।

- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने तमिलनाडु, मणिपुर और सिक्किम हेतु निधि की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित करने के लिए नेवा की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। (22 मार्च 2021)
- तमिलनाडु विधान सभा के अधिकारियों को नेवा प्लेटफार्म का प्रशिक्षण देने के लिए सामान्य जानकारी दी गई। (24 मार्च, 2021)
- विभिन्न राज्यों में समय-समय पर नेवा मॉड्यूल के प्रदर्शन के क्रम में, महाराष्ट्र विधान सभा और परिषद के अधिकारियों के ऑनलाइन प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। (31 मई, 2021)
- सिक्किम विधान सभा के अधिकारियों के लिए 4 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अधिकारियों को सदस्य मॉड्यूल, प्रश्न प्रसंस्करण मॉड्यूल, विभाग उत्तर मॉड्यूल, समिति प्रबंधन मॉड्यूल, कार्य सूची मॉड्यूल आदि की जानकारी दी गई। (22-25 जून, 2021)
- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेवा कार्यान्वयन के लिए मेघालय विधान सभा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नेवा की अधिकार प्राप्त समिति की आभासी बैठक की अध्यक्षता की। (25 जून, 2021)
- विभिन्न विधानसभाओं को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण देने का क्रम चलता रहा और कर्नाटक विधान सभा के अधिकारियों के लिए ऐसा ही एक प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो सत्रों में (6-7 जुलाई, 2021 और 19-20 जुलाई, 2021) आयोजित किया गया ।
- कर्नाटक विधान सभा और परिषद के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीपीएमयू टीम ने उन्हें नेवा की कई विशेषताओं और

संबद्ध मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी जो सदन के कागज रहित कार्य निष्पादन में उपयोगी होगा। (4-6 अगस्त, 2021)

- केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के लिए ही नहीं बल्कि संसद के अवर सदन - लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों को भी 3 दिवसीय प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नेवा के बारे में जानकारी दी गई। इस सत्र में यह दर्शाया गया कि नेवा किस प्रकार लोक सभा का डिजिटलीकरण कर सकता है और इसको अपनाने के विभिन्न पहलू/लाभ बताए गए। (17-19 अगस्त, 2021)

- ऐसा ही एक चार दिवसीय सत्र राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए भी आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स के प्रदर्शन के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर भी विचार किया गया। ताकि नेवा के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य सभा सचिवालय को लाभ हो सके। (23-26 अगस्त, 2021)

- चूंकि 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे भारत में मनाया जा रहा है, सीपीएमयू नेवा ने अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लिया। पंजाब विधान सभा के अधिकारियों को विभिन्न मॉड्यूलों का प्रशिक्षण और उनकी शंकाओं का समाधान 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। (13-14 सितंबर, 2021)

- नेवा सॉफ्टवेयर टीम ने लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं का दौरा किया। टीम ने अनुभागों की मांग के अनुसार विभिन्न मॉड्यूल का प्रदर्शन किया और सचिवालयों में मैन्युअल रूप से संचालित की जा रही प्रक्रियाओं सहित कार्य करने की सुविधा हेतु सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए उनकी चिंताओं/ आवश्यकताओं को नोट किया। सचिवालयों में उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर, भारत की संसद में नेवा को अपनाने के लिए अंतराल विश्लेषण पर एक रिपोर्ट तैयार की गई।

- महाराष्ट्र विधान सभा के अधिकारियों के अनुरोध पर प्रश्न प्रसंस्करण मॉड्यूल और विभाग उत्तर मॉड्यूल पर 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। (30 सितंबर, 2021)

- 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के भाग के रूप में, सीपीएमयू नेवा ने ओडिशा विधान सभा के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। (26-27 अक्टूबर, 2021)

- सीपीएमयू, नेवा टीम ने सदन में नेवा कार्यान्वयन के भाग के रूप में हार्डवेयर स्थापना की सुविधा और पर्यवेक्षण के लिए बिहार विधान परिषद का दौरा किया। परिषद के अधिकारियों के साथ माननीय सदस्यों को नेवा की विभिन्न विशेषताओं विशेष रूप से प्रश्न प्रसंस्करण मॉड्यूल, डिजिटल सदन, नियंत्रक, ई-बुक, कार्यसूची आदि का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया गया। (16-18 नवंबर, 2021)

- 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के भाग के रूप में, कर्नाटक विधान सभा के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन सत्र का आयोजन किया गया जिसमें नेवा मॉड्यूल की प्रक्रियाओं के बारे में विभिन्न शंकाओं का समाधान किया गया और उन्हें नई सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। (30 नवंबर, 2021)

- बिहार विधान सभा के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि वे नेवा प्लेटफार्म आसानी से कार्य कर सकें। इस कार्यशाला में सीपीएमयू टीम द्वारा नेवा के सभी मॉड्यूल्स का प्रदर्शन शामिल था। (7-8 दिसंबर, 2021)

- बिहार विधान सभा के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सह कार्यशाला के बाद, नागालैंड विधान सभा के लिए भी इसी तरह का सत्र आयोजित किया गया जिसमें नेवा पब्लिक पोर्टल, प्रश्न प्रसंस्करण मॉड्यूल, सदस्य लॉगिन, विभाग उत्तर, कार्यसूची, डिजिटल सदन, ई-लेइंग, ई-बुक आदि मॉड्यूल अधिकारियों के समक्ष दर्शाए गए और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। (9-10 दिसंबर, 2021)

- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने क्रमशः 21 और 23 दिसंबर, 2021 को त्रिपुरा और हरियाणा तथा मेघालय की विधानसभाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निधि को मंजूरी देने के लिए नेवा की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता की।

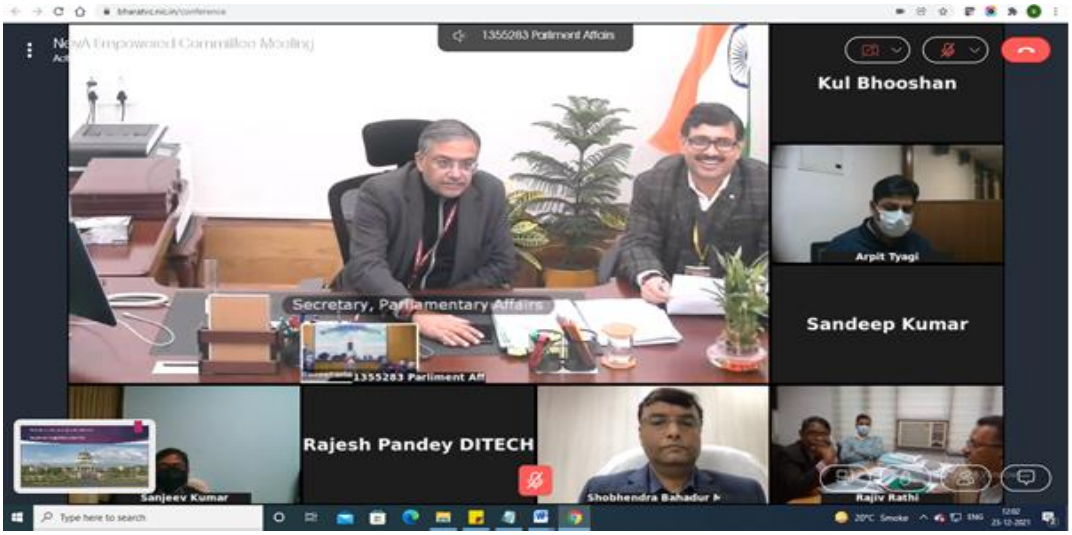

श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय हरियाणा और मेघालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित और मंजूर करने के लिए नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए (23 दिसंबर, 2021)।

राज्यों में नेवा

12.6 ओडिशा – नेवा का उपयोग करते हुए कागज-रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य

"देश में एक मॉडल बजट" की टैगलाइन के साथ, ओडिशा ने नेवा के माध्यम से पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक रूप में 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण टैबलेट डिवाइस के माध्यम से दिया गया और माननीय सदस्यों ने इस दस्तावेज़ का अवलोकन नेवा की ई-बुक के माध्यम से किया।

नेवा का उपयोग करते हुए ई-बजट प्रस्तुति की इस पहल से लगभग 1.5 करोड़ कागज के पृष्ठों की छपाई कम हो जाएगी और सालाना लगभग 2000 बड़े पेड़ों की बचत होगी।

ई–बजट: नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए बजट का प्रस्तुतिकरण

12.7 बिहार विधान परिषद – नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए पहला डिजिटल सदन

बिहार विधान परिषद नेवा का उपयोग करके सदन के डिजिटलीकरण के लिए सदन के अंदर हार्डवेयर बुनियादी ढांचा स्थापित करने वाला देश का पहला विधानमंडल बन गया। विधान परिषद में 25 नवंबर, 2021 को नेवा प्लेटफार्म का उद्घाटन समारोह हुआ और बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र–2021 नेवा के माध्यम से चला।

25 नवंबर, 2021 को बिहार विधान परिषद में नेवा का उद्घाटन और बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र, 2021 के दौरान कार्य का निष्पादन।

एक राष्ट्र एक विधायी मंच के लिए प्रधान मंत्री की टिप्पणी

शिमला, हिमाचल प्रदेश में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री ने सभी विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के दौरान एक राष्ट्र एक विधायी मंच के विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो न केवल हमारी संसदीय प्रणाली की मदद करेगा बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़कर तकनीकी उन्नति को भी बढ़ावा देगा। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष और राज्य सभा के माननीय उप-सभापति के नेतृत्व में, सभी पीठासीन अधिकारी हमारी संसद और सभी विधानमंडलों के पुस्तकालयों को डिजिटाइज़ करने और बाद में उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए इस प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं।

इसके लिए, सरकार "एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन" के सिद्धांत के आधार पर पूरे भारत में 39 विधानमंडलों के डिजिटलीकरण और उनके कार्यचालन को कागज-रहित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के ई-विधान एमएमपी के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) मोबाइल एप्लिकेशन और वेब एप्लिकेशन पहले ही विकसित कर चुकी है। नेवा को एक सदस्य केंद्रित, उपकरण तटस्थ और प्रयोक्तानुकूल ऐप के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है जो सदस्यों के पास उपलब्ध उपकरणों/टेबलेट में उनके द्वारा वांछित समस्त सूचना उपलब्ध कराके उन्हें सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने योग्य बनाने और एक कुशल, समावेशी, शून्य उत्सर्जन-आधारित डेटाबेस तैयार करके और हमारे विधानमंडलों के कार्य करने के तरीके में सुधार लाकर विधानमंडलों/विभागो की सभी शाखाओं को इस पर दक्षतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने के लिए तैयार की गई है।

नेवा के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों के 20 विधानमंडल समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए 8 विधानमंडलों को निधियां जारी की जा चुकी हैं। ओडिशा विधान सभा और बिहार विधान परिषद डिजिटल विधानमंडल के इस विचार में सबसे आगे हैं जिसमें ओडिशा विधान सभा ने अपना बजट पेपरलेस प्रस्तुत किया और बिहार विधान परिषद ने इनहाउस ऑटोमेशन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे की स्थापना की और नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना शीतकालीन सत्र 2021 चलाया।

नेवा कार्यान्वयन की रीति – अधिकारप्राप्त समिति द्वारा परियोजना की मंजूरी

परियोजना के दिशा-निर्देशों के नियम और शर्तों के अनुपालन में ई-विधान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य (राज्यों) को निधियां अनुमोदित करने के लिए नेवा की एक अधिकारप्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसकी रचना निम्न प्रकार है:

i) सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय)	–	अध्यक्ष
ii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव या उनके नामिति	–	सदस्य
iii) वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
iv) महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी	–	सदस्य
v) एमडी, एनआईसीएसआई	–	सदस्य
vi) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्री के विधानमंडल का सचिव	–	सदस्य
vii) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सचिव (आईटी)	–	सदस्य
viii) संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर	–	सदस्य सचिव
ix) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	–	विशेष आमंत्रितगण

समझौता ज्ञापन

कागज रहित राज्य विधानमंडलों और विधायकों एवं अन्य हितधारकों को सूचना और सेवा का इलेक्ट्रॉनिक परिदान उपार्जित करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन – नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश विधान सभा के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए।

नेवा की ओर पहले कदम के रूप में इस समझौता ज्ञापन पर निम्नलिखित विधानमंडलों के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके विधानमंडल

क्र.सं.	**राज्य**	**हस्ताक्षर करने की तारीख**
1	बिहार विधान परिषद	27.02.2020
2	पंजाब विधान सभा	18.03.2020
3	बिहार विधान सभा	23.03.2020
4	मेघालय विधान सभा	30.03.2020
5	गुजरात विधान सभा	04.07.2020
6	ओडिशा विधान सभा	17.08.2020
7	मणिपुर विधान सभा	02.09.2020

8	पुडुचेरी विधान सभा	13.09.2020
9	अरूणाचल प्रदेश विधान सभा	14.09.2020
10	नागालैंड विधान सभा	15.10.2020
11	त्रिपुरा विधान सभा	24.11.2020
12	हिमाचल प्रदेश विधान सभा	13.01.2021
13	छत्तीसगढ़ विधान सभा	27.01.2021
14	सिक्किम विधान सभा	10.02.2021
15	तमिलनाडु विधान सभा	19.02.2021
16	हरियाणा विधान सभा	25.02.2021
17	उत्तर प्रदेश विधान सभा	08.04.2021
18	मिजोरम विधान सभा	08.07.2021
19	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	27.09.2021
20	झारखंड विधान सभा	06.10.2021

12.11 **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**

कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल अगला कदम हितधारकों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रस्तुत किया जाना है। जिसके लिए परियोजना के कार्यान्वयन का विश्लेषण करने में राज्यों की सहायतार्थ सरकारी वेबसाइट पर एक आदर्श डीपीआर उपलब्ध कराई गई है। निम्नलिखित राज्य डीपीआर प्रस्तुत करके कार्यान्वयन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं:-

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है

नेवा के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर हस्ताक्षर किए गए				
क्र. सं.	**राज्य**	**डीपीआर प्रस्तुत करने की तारीख**	**राज्य के अनुसार मांग**	**मंजूर की गई राशि**
1.	पंजाब	23-03-2020	18,30,35,637/-	12,31,05,100/-
2.	ओडिशा	23-06-2020	12,51,61,556.04/-	8,58,03,400/-
3.	बिहार विधान सभा	17-09-2020	21,25,49,504/-	15,97,00,100/-

4.	बिहार विधान परिषद	19-10-2020	9,17,36,550/-	8,21,46,550/-
5.	नागालैंड	26-10-2020	16,99,59,757/-	8,72,29,700/-
6.	मणिपुर	30-11-2020	11,97,66,150/-	9,57,91,050/-
7.	तमिलनाडु	09-03-2021	16,49,85,766/-	15,55,50,750/-
8.	सिक्किम	18-02-2021	25,07,73,646/-	8,48,23,450/-
9.	अरूणाचल प्रदेश	29-01-2021	27,37,15,000/-	प्रक्रियाधीन
10.	मेघालय	15-04-2021	11,75,11,463/-	10,42,82,900/-
11.	हरियाणा	26-07-2021	13,95,87,739/-	8,53,53,390/-
12.	त्रिपुरा	11-09-2021	9,53,61,423/-	8,95,32,950/-
13.	मिजोरम	27-10-2021	13,60,85,279/-	8,70,84,750
14.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	25-10-2021	11,23,86,960/-	जांचाधीन
15.	उत्तर प्रदेश विधान सभा	15-11-2021	28,17,34,115/-	जांचाधीन

12.12 **निधियों की मंजूरी**

नेवा परियोजना, जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% को छोड़कर शेष राज्यों के लिए 60:40 के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के पैटर्न पर कार्यान्वित की जा रही है, को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अधिकारप्राप्त समिति द्वारा निम्नलिखित राज्यों के लिए मंजूर किया जा चुका है और केंद्रीय वित्तीय सहायता की पहली किस्त नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उन्हें जारी की जा चुकी है:-

नेवा के कार्यान्वयन हेतु पहली किस्त का जारी किया जाना

नेवा के कार्यान्वयन हेतु पहली किस्त का जारी किया जाना			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल**	**मंजूर की गई कुल राशि और (मंजूरी की तारीख)**	**पहली किस्त की राशि और (जारी करने की तारीख)**
1.	पंजाब	12,31,05,100/- (12.10.2020)	1,47,72,612/- (26.10.2020)
2.	ओडीशा	8,58,03,400/- (12.10.2020)	1,02,96,408/- (26.10.2020)
3.	बिहार विधान सभा	15,97,00,100/- (26.11.2020)	1,91,64,012/- (09.12.2020)

4.	बिहार विधान परिषद	8,21,46,550/- (26.11.2020)	98,57,586/- (09.12.2020)
5.	नागालैंड	8,72,29,700/- (26.11.2020)	1,57,01,346/- (09.12.2020)
6.	मणिपुर	9,57,91,050/- (22.03.2021)	1,72,42,389/- (18.01.2021)*
7.	सिक्किम	8,48,23,450/- (22.03.2021)	1,52,68,221/- (30.03.2021)
8.	तमिलनाडु	15,55,50,750/- (22.03.2021)	1,86,66,090/- (30.03.2021)
9.	मेघालय	10,42,82,900/- (23.12.2021)	1,87,70,922/- (25.01.2022)
10.	हरियाणा	8,53,53,390/- (23.12.2021)	1,02,42,407/- (25.01.2022)
11.	त्रिपुरा	8,95,32,950/- (21.12.2022)	1,61,15,931/- (25.01.2022)
12.	मिजोरम	8,70,84,750/- (12.01.2022)	1,56,75,255/-

*परियोजना की कार्योत्तर मंजूरी

12.13 **संक्षेप में नेवा कार्यान्वयन के चरण**

निम्नलिखित प्रवाह संचित्र किसी विधानमंडल को अभी के लिए कम कागज उपयोग करने वाले विधानमंडल में और बाद में एक पूर्ण कागज-रहित विधानमंडल में परिवर्तित की चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में बताता है।

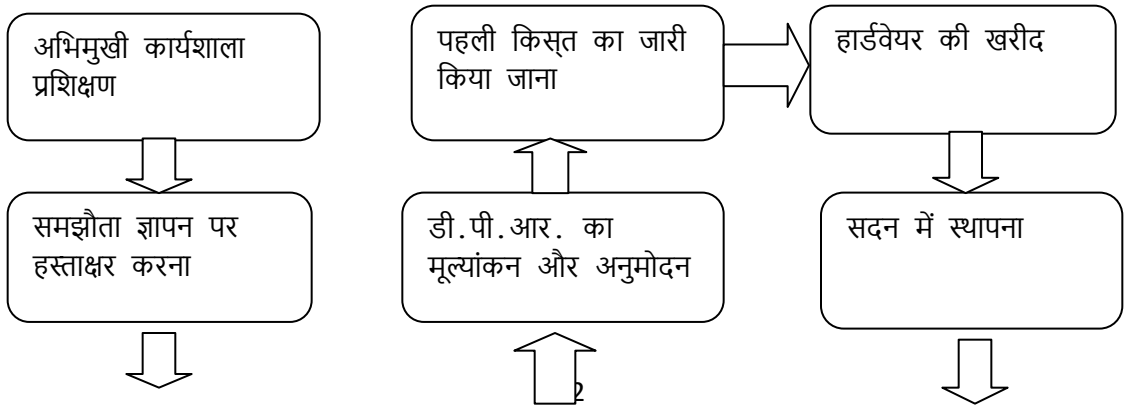

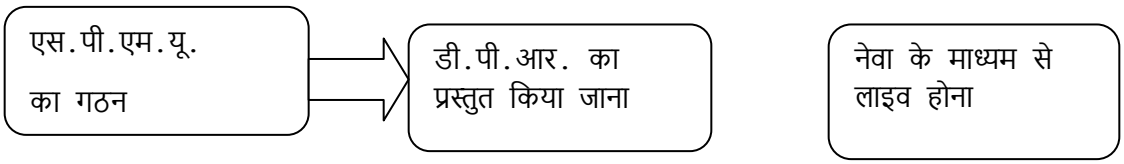

12.14 नेवा के कार्यान्वयन में आगे की योजना

- '**आजादी का अमृत महोत्सव**' के भाग के रूप में सीपीएमयू, नेवा पिछले वर्ष के दौरान अपने हितधारकों के लिए सेमिनार, प्रशिक्षण और वेबिनार आयोजित करता रहा है। आयोजनों की यह श्रृंखला तब तक जारी रहेगी जब तक कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल सदन के कार्य का निष्पादन नेवा के माध्यम से करने में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। सीपीएमयू द्वारा विधानमंडलों के अधिकारियों को यह नियमित प्रशिक्षण अन्य सभी शेष विधायी सदनों को इस क्रांतिकारी परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा।

- 39 में से 20 विधानमंडल पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और 11 सदनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निधि मंजूर करने के लिए अनुमोदित किया जा चुका है। इनमें से पहली किस्त 12 विधायी सदनों को पहले ही जारी की जा चुकी है और दूसरी किस्त नागालैंड विधान सभा और बिहार विधान परिषद को जारी की जा चुकी है।

- ओडिशा विधान सभा और बिहार विधान परिषद डिजिटल विधानमंडल के इस विचार में सबसे आगे हैं जिसमें ओडिशा विधान सभा ने नेवा के माध्यम से अपना कागज रहित बजट प्रस्तुत किया और बिहार विधान परिषद ने इनहाउस ऑटोमेशन के लिए आवश्यक पूरे बुनियादी ढांचे की स्थापना की और नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना शीतकालीन सत्र 2021 चलाया।

- नेवा से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में कई हजार टन कागज की बचत से प्रति वर्ष लगभग 340 करोड़ रूपये बचत करना संभव है, जो बदले में सालाना लाखों पेड़ों को बचाने तथा विभागों और सचिवालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस प्रकार नेवा पहल भारत सरकार की "गो ग्रीन" पहल और "स्वच्छ भारत मिशन" के अनुरूप है।

- 15 अगस्त, 2022 तक सभी विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय और सीपीएमयू ने अपने हितधारकों के 100 प्रतिशत समावेश को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

अध्याय – 13
सामान्य

एक झलक

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-

  (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 260 संसद सदस्य (176 लोक सभा से और 84 राज्य सभा से); और

  (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 66 संसद सदस्य (27 लोक सभा से और 39 राज्य सभा से)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 260 संसद सदस्यों (लोक सभा के 176 और राज्य सभा के 84) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-11** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-12** में दर्शाए गए रूप में 66 संसद सदस्यों (लोक सभा के 27 और राज्य सभा के 39) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

(i) सत्रहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 12वां से 25वां प्रतिवेदन।

(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 158वां प्रतिवेदन।

(iii) प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सभापटल पर रखे गए कागज-पत्रों संबंधी समिति, राज्य सभा के 161वें प्रतिवेदन में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई।

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन

13.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;

(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;

(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और

(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

13.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

13.6 कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से पैदा हुई तत्कालिक आवशयकताओं को पूरा करने के लिए 01 अप्रैल, 2020 से शुरू एक वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों को देय वेतन में 30 प्रतिशत कटौती की गई है। मंत्रिमंडल के उपरोक्त निर्णय को लागू करने के उद्देश्य से 07 अप्रैल, 2020 को 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020' (2020 का संख्या 3) प्रख्यापित किया गया था। उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए दिनांक 14.09.2020 को लोक सभा में 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020' पुर:स्थापित किया गया था जिसे लोक सभा द्वारा दिनांक 15.09.2020 को पारित किया गया था। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा दिनांक 18.09.2020 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 24.09.2020 को उसे 2020 के अधिनियम संख्या 19 के रूप में मंजूरी दी गई थी। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिश पर दिनांक 01.04.2020 से शुरू एक वर्ष की अवधि तक निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते और कार्यालय व्यय भत्ते (केवल लेखन सामग्री व्यय का भाग) में भी 30 प्रतिशत कटौती की गई। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों को 01 अप्रैल, 2021 से बहाल कर दिया गया है।

13.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-13** और **परिशिष्ट-14** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.8 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के प्रतिवेदनों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 244वां और 247वां प्रतिवेदन।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

13.9 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

13.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। अंतिम 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8-9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में अभिविन्यास पाठ्यक्रम

13.11 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य का बेहतर निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। संसदीय कार्य मंत्रालय वर्ष 1985 से विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, इन पाठ्यक्रमों का संचालन संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

13.12 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंतत: पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं

संसद सदस्यों का कल्याण

13.13 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

13.14 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

13.15 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

13.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री नंद किशोर सिंह, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा. के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई, जिनका मेदांता अस्पताल में दिनांक 01.03.2021 को देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को दिनांक 03.03.2021 को भोपाल, मध्य प्रदेश भेजा गया।

13.17 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री राम स्वरूप शर्मा, संसद सदस्य (लो.स.), भा.ज.पा. के दुखद निधन पर भी सहायता प्रदान की गई, जिनका दिनांक 17.03.2021 को दिल्ली में देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को दिनांक 18.03.2021 को जोगिन्द्र नगर, हिमाचल प्रदेश भेजा गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

13.18 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

13.19 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात तक चलने वाली बैठक (बैठकों) के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के लिए रात्रि भोजन/जलपाल की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

13.20 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

13.21 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई/बैठक की अध्यक्षता की गई	विषय	स्थान
1.	30.1.2021	संसदीय कार्य मंत्री/प्रधान मंत्री	बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	आभासी माध्यम से
2.	18.07.2021	संसदीय कार्य मंत्री/प्रधान मंत्री	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध
3.	20.07.2021	प्रधान मंत्री	कोविड और टीकाकरण पर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुति दी गई।	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध
4.	26.08.2021	विदेश मंत्री	अफगानिस्तान में स्थिति	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध
5.	28.11.2021	संसदीय कार्य मंत्री	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध

अनुसंधान कार्य

13.22 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका की समीक्षा करता है/उन्हें अद्यतन करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब भी पूछा जाए, संसदीय प्रक्रियाओं और परिपाटियों संबंधी मामलों पर सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं। अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकीय पुस्तिका भी तैयार करता है, मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतन करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

- सांख्यिकीय पुस्तिका को अद्यतन करने की पहल की।
- इस मंत्रालय के नागरिक चार्टर को संशोधित करने का कार्य चल रहा है।
- अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय के पुस्तकालय का कार्य देख रहा है।
- संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों को नजीर पुस्तिका में संकलित किया।
- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को इस मंत्रालय के प्रकाशन "भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका" उपलब्ध कराई गई।
- प्रवेशन रिपोर्ट तैयार की गई।
- इस मंत्रालय के अनुसंधान प्रकोष्ठ के कार्य में इस मंत्रालय के इनपुट हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विभिन्न विषयों पर नीति संबंधी कार्य और अनुसंधान कार्य शामिल हैं।

बजट की स्थिति

- संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट अनुमान 2021-22		संशोधित अनुमान 2021-22		बजट अनुमान 2022-23		वास्तविक व्यय 2021-22 (12.1.2022 तक)	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00 - स्थापना								
	13.00.01 - वेतन	--	134900	--	144600	--	149900	--	121109
	13.00.03 - समयोपरि भत्ता	--	200	--	200	--	200	--	161
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	--	4000	--	9000	--	7000	--	6999
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	--	3500	--	6000	--	5000	--	3499
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	--	20000	--	2000	--	20000	-	--
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	--	17000	--	19000	--	19000	--	15585
	13.00.16 - प्रकाशन	--	1000	--	1000	--	1000	--	754
	13.00.20 - अन्य प्रशासनिक व्यय	--	7000	--	7000	--	7000	--	4540
	13.00.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	200	--	200	--	200	--	--
	13.00.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	2500	--	2500	--	2500	--	2430
	13.00.50 - अन्य प्रभार	--	8000	--	3500	--	7000	--	649
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	--	--	--	--	1500	--	--
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान	--	--	--	--	--	20000	--	--

	एप्लिकेशन 13.02.28 – वृत्तिक सेवाएं								
	13.02 – राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.31 – सहायतानुदान सामान्य	--	400000	--	360000	--	400000	--	76532
	13.96 – स्वच्छता कार्य योजना 13.96.50 –अन्य प्रभार	--	1000	--	1000	--	1000	--	679
	13.99 – सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.13 – कार्यालय व्यय	--	50400	--	94000	--	22700	--	3139
	13.99 – सूचना प्रौद्योगिकी 13.00.26 – विज्ञापन और प्रचार	--	500	--	--	--	--	--	--
	13.99 – सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.28 – वृत्तिक सेवाएं	--	500	--	--	--	--	--	--
	13.99 – सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.31 – सहायतानुदान सामान्य	--	--	--	--	--	--	--	--
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**--**	**650700**	**--**	**650000**	**--**	**664000**	**--**	**233287**

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2021-22 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

दिव्यांजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

13.25 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांगजनों के लाभ के मामलें में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

स्वच्छता पखवाड़ा

संसदीय कार्य मंत्रालय में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा, 2021 मनाया गया। मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई थी।

लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान

2 अक्तूबर, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 के दौरान मंत्रालय में लंबित मामलों के निपटान हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा मंत्रालय में विचाराधीनता की समीक्षा करने के लिए 4 अक्तूबर, 2021 को कमरा नं.4, संसदीय सौध विस्तार बिल्डिंग में एक बैठक ली गई थी।

13.28 **आजादी का अमृत महोत्सव समारोह**

संविधान दिवस समारोह, 2021

<u>सिंहावलोकन</u> - मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपने पत्र दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रालय को संविधान दिवस मनाने संबंधी गतिविधियां आबंटित की थी। संस्कृति मंत्रालय ने भी अपने अ.शा. पत्र दिनांक 26.10.2021 के माध्यम से मंत्रालय के लिए अनुमोदित कार्यक्रम की एक प्रति पृष्ठांकित की थी जिसमें संविधान दिवस, 2021 को मनाने के लिए मंत्रालय को प्रमुख मंत्रालय बनाया गया था।

भारत के संविधान को अपनाने का स्मरणोत्सव मनाने और संविधान के संस्थापकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

समारोह को देश के कोने-कोने में फैलाने के लिए, सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ व्यापक पत्राचार किया गया था। प्रारंभ में, निम्नलिखित व्यापक पत्राचार किया गया:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप-राज्यपालों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से पत्र।
- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से पत्र।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से पत्र।

उपरोक्त के अलावा, माननीय राष्ट्रपति के साथ 26.11.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन पर विशेष बल दिया गया था और इसलिए स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/ सरकारी कार्यालयों/संस्थानों आदि में माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना के वाचन हेतु मंत्रालयों/विभागों/ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था।

जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित वेब पोर्टल भी विकसित किए:-

1. "भारत के संविधान की प्रस्तावना का 23 भाषाओं में ऑनलाइन वाचन (22 राजभाषाएं और अंग्रेजी);
2. "संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" जिसमें कोई भी कहीं से भी भाग ले सकता है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है; और
3. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित की गई गतिविधियों को अपलोड करने के लिए पोर्टल।

उपरोक्त पोर्टल्स को माइक्रोसाइट - mpa.gov.in/constitution-day पर उपलब्ध कराया गया था।

इस अवसर के दौरान बैनरों/होर्डिंग्स में उपयोग के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत क्रिएटिव नीचे दिया गया है:

13.29 <u>"संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन"</u>

मंत्रालय ने 23 भाषाओं (22 राजभाषाएं और अंग्रेजी) में "संविधान की प्रस्तावना के वाचन हेतु ऑनलाइन पोर्टल" (mpa.gov.in/constitution-day) विकसित किया था जिसे 25 नवंबर, 2021 की मध्यरात्रि से किसी के भी द्वारा कहीं से भी उपयोग के लिए चालू किया गया था। कोई भी इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है और 23 भाषाओं में से किसी में भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकता है और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।

पद्मश्री, श्री जय प्रकाश लखीवाल ने प्रस्तावना के फ्रेम को इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें भारत संघ के सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से कला के तत्व समाहित हैं। यह डिजाइन प्रमाणपत्र में भी परिलक्षित होता है।

13.30 <u>"संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी"</u>

"संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" (mpa.gov.in/constitution-day) पोर्टल का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति द्वारा 26 नवंबर, 2021 को संसद के केंद्रीय कक्ष से किया गया था। यह "जन भगीदारी" के उद्देश्य के साथ एक साधारण डिजिटल प्रश्नोत्तरी है जिसमें भारतीय संविधान और इसमें निहित मौलिक कर्तव्यों के विशेष संदर्भ में और लोकतंत्र पर बहुत ही सरल और बुनियादी प्रश्न शामिल हैं।

प्रश्नोत्तरी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

1. कोई भी इस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकता है और अपना नाम, टेलीफोन नंबर, आयु समूह देकर साधारण पंजीकरण के साथ भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
2. एक ही मोबाइल नंबर पर कई पंजीकरण हो सकते हैं।
3. लगभग 1000 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक है और हर बार 5 प्रश्न बेतरतीब ढंग से पॉपअप होंगे जिनहें प्रश्नोत्तरी में किसी भी प्रतिभागी द्वारा हल करने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिभागी अपने उत्तरों की शुद्धता की जांच भी कर सकते हैं।
4. लेकिन साधारण प्रतिभागिता पर सभी को प्रमाण पत्र मिलेगा क्योंकि प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य भारतीय संविधान और संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को लोकप्रिय बनाना न कि किसी के ज्ञान की परीक्षा लेना।
5. यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है ताकि दुनिया भर से वरिष्ठ नागरिकों सहित अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

13.31 <u>भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित की गई गतिविधियों को अपलोड करने के लिए पोर्टल</u>

मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित की गई गतिविधियों को अपलोड करने के लिए भी एक पोर्टल (mpa.gov.in/constitution-day) विकसित किया था। सभी मंत्रालयों/विभागों को पोर्टल पर जाने और आंकड़े अपलोड करने के लिए पासवर्ड प्रदान किए गए थे।

13.32 मंत्रालय की अनूठी पहल

एसएमएस के जरिए नागरिकों तक पहुंचना

ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन में बड़े पैमाने पर भागीदारी हेतु लोगों तक पहुंचने के लिए देशभर के उपयोगकर्ताओं को एक टेक्स्ट एसएमएस भेजा गया था। टेक्स्ट एसएमएस की नीचे दिया गया है:

"26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए
भारत के राष्ट्रपति के साथ जुड़ें। mpa.gov.in/constitution-day
पर अपना प्रमाणपत्र प्राप्त करें"

मेलर के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचना

समारोह के आधार को व्यापकता प्रदान करने के लिए MyGov प्लेटफॉर्म से अपने सभी उपयोगकर्ताओं को मेलर भेजने का अनुरोध किया गया था। MyGov के आंकड़े इस प्रकार हैं:

Join the President of India for live reading of the Preamble to the Constitution

Campaign Statistics

- Campaign sent on: **25-11-2021**
- Campaign sent by: **MyGov**
- Total Read percentage: **9.34%**
- Based on the total read the campaign is categorized as a **high impact email campaign.**
- Top URL's clicked :-
  - https://www.mygov.in/campaigns/constitution-day/?target=inapp&nid=0&type=campaign: **16641**
  - https://play.google.com/store/apps/details?id=in.mygov.mobile&hl=en: **5787**
  - https://itunes.apple.com/in/app/mygov-india-%E0%A4%AE-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95-%E0%A4%B0/id1423088445?mt=8: **5267**

From - Subject	Date sent on	Total sent	Total Read	Unique Read	URL Clicked	Total Read %
Join the President of India for live reading of the Preamble to the Constitution	25th Nov 2021	66224651	6185356	4110373	52215	9.34%

MyGov द्वारा 25-11-2021 को **"संविधान की प्रस्तावना के लाइव वाचन के लिए भारत के राष्ट्रपति से जुड़ें"** विषय के साथ मेलर भेजा गया था। ई-मेल अभियान का वर्तमान पठन प्रतिशत 9.34% है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, 8-10% कुल पठन प्रतिशत के साथ ई-मेल अभियान की एक बहुत अच्छी रेटिंग है।

13.33 पूर्व-भूमिका संबंधी गतिविधि

मुख्य कार्यक्रम की पूर्व-भूमिका के रूप में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी) ने माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) के साथ 23 नवंबर, 2021 को नेशनल मीडिया सेंटर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में संविधान दिवस (26 नवंबर, 2021) की तैयारियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान, माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी) ने बताया कि:

- भारत के माननीय राष्ट्रपति 26 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से संसद के केंद्रीय कक्ष से संविधान दिवस समारोह का लाइव नेतृत्व करेंगे
- माननीय राष्ट्रपति के भाषण के बाद पूरा देश उनके साथ संविधान की प्रस्तावना को लाइव पढ़ेगा।
- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/निकायों, बार काउंसिलों आदि सहित बड़े पैमाने पर जनता से दिनांक 26.11.2021 को संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने करने में माननीय राष्ट्रपति के साथ अपने-अपने स्थानों से कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जुड़ने का अनुरोध किया गया था।
- माननीय मंत्री जी ने मंत्रालय द्वारा विकसित दो पोर्टलों के बारे में भी जानकारी दी - पहला 23 भाषाओं (22 राजभाषाएं और अंग्रेजी) में "संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन" और दूसरा "संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" (mpa.nic.in/constitution-day) जिसमें कोई भी कहीं से भी भाग ले सकता है और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।

- माननीय मंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से जनता से यह भी अनुरोध किया कि उस दिन अधिक से अधिक लोगों को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ समारोह में शामिल होना चाहिए और #SamvidhanDiwas का उपयोग करते हुए और फेसबुक @MOPAIndia, ट्विटर @mpa_india और इंस्टाग्राम @min_mopa को टैग करते हुए अपने-अपने स्थानों से प्रस्तावना पढ़ते हुए और प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी तस्वीरें साझा करनी चाहिए।
- माननीय मंत्री जी ने संविधान दिवस के इतिहास में जाते हुए बताया कि 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय प्रधान मंत्री ने "संविधान गौरव यात्रा" आयोजित की थी और वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित करने के पीछे यही प्रेरणा थी।
- इसे एक राष्ट्रीय उत्सव बनाने के लिए, आइए हम सभी अपने प्रमाणपत्र सोशल मीडिया पर साझा करें।

13.34 मुख्य कार्यक्रम - 26 नवंबर 2021 को संसद भवन का केंद्रीय कक्ष

इस महोत्सव के भाग के रूप में, मुख्य कार्यक्रम 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया था।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ संविधान दिवस, 2021 समारोह का संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से नेतृत्व किया था।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी) ने संविधान दिवस के शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रपति, माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों और वहां मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर इस महान देश की जनता का स्वागत किया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के स्वागत भाषण के पश्चात, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय उप-राष्ट्रपति एवं माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद के केंद्रीय कक्ष से संसद टीवी के माध्यम से राष्ट्र के नाम अपना-अपना लाइव संबोधन भाषण दिया।

i) संविधान सभा के वाद-विवाद की सॉफ्ट कॉपी के विमोचन ii) भारत के अद्यतन संविधान के विमोचन iii) लोक सभा सचिवालय द्वारा भारत के संविधान की सुलेखित प्रति की सॉफ्ट कॉपी जारी करने के अलावा, माननीय राष्ट्रपति ने "संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" के इस मंत्रालय के पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

तत्पश्चात, पूरे देश ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से माननीय राष्ट्रपति के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना का लाइव वाचन किया।

13.35 **आंकड़े**

- संसदीय कार्य मंत्रालय की भागीदारी इस प्रकार है:

उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना को लाइव पढ़ा	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ा और प्रमाणपत्र डाउनलोड किया	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र पर प्रश्नोत्तरी में भाग लिया और प्रमाणपत्र डाउनलोड किया
118	118	118

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों(#) की भागीदारी इस प्रकार है:

उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना को लाइव पढ़ा	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ा और प्रमाणपत्र डाउनलोड किया	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र पर प्रश्नोत्तरी में भाग लिया और प्रमाणपत्र डाउनलोड किया

1,01,973	29,484	5,888

- उपरोक्त आंकड़ों सहित लोगों की समग्र भागीदारी इस प्रकार है:

उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना को लाइव पढ़ा	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ा और प्रमाणपत्र डाउनलोड किया	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र पर प्रश्नोत्तरी में भाग लिया और प्रमाणपत्र डाउनलोड किया
1,01,973#	**5,33,290**	**1,11,940**

नोट: 16.12.2021 तक के आंकड़े दिए गए हैं।

भारत सरकार के केवल 43 मंत्रालयों/विभागों के आंकड़े। वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने टेलीविजन या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से प्रस्तावना को लाइव पढ़ा था।

<u>फेसबुक</u> के आंकड़े बताते हैं कि 23 नवंबर 2021 से समारोह के दौरान मंत्रालय के अनुयायियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, वह भी दुनिया भर से जिसने इस कार्यक्रम को वास्तव में एक जन-कार्यक्रम या जनभागीदारी बना दिया।

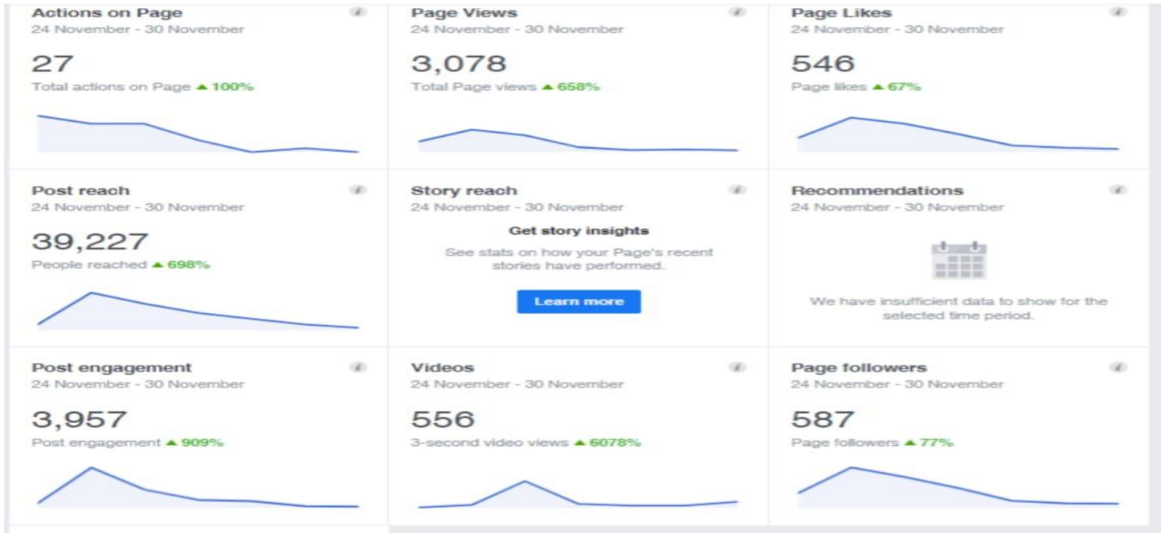

ट्विटर के मामले में भी ऐसा ही है, नवंबर, 2021 के महीने के आंकड़े निम्न इस प्रकार हैं जिनमें शीर्ष ट्वीट भी शामिल हैं जिन्हें 16000 इंप्रेशन प्राप्त हुए हैं। ग्राफ स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कार्यक्रम की लोकप्रियता जनता के बीच बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ी है।

13.36 **सोशल मीडिया**

बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचने के लिए और संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर विभिन्न सोशल मीडिया क्रिएटिव साझा किए गए।

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1
(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।

19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।

20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका।

21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।

22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।

23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।

24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट - 2
(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा					
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1.	2	3	4	5	6
सत्रहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र और राज्य सभा का 253वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
1	बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021	15.03.2021 रा.स.	22.03.2021	18.03.2021	25.03.2021 2021 का 6
2	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021	17.03.2021 लो.स.	17.03.2021	23.03.2021	25.03.2021 2021 का 7
3	विनियोग विधेयक, 2021	18.03.2021 लो.स.	18.03.2021	23.03.2021	25.03.2021 2021 का 5
4	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021	18.03.2021 लो.स.	18.03.2021	23.03.2021	25.03.2021 2021 का 12
5	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021	18.03.2021 लो.स.	18.03.2021	23.03.2021	25.03.2021 2021 का 9
6	पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021	18.03.2021 लो.स.	18.03.2021	23.03.2021	25.03.2021 2021 का 11
7	पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021	18.03.2021 लो.स.	18.03.2021	23.03.2021	25.03.2021 2021 का 10
8	वित्त विधेयक, 2021	01.02.2021 लो.स.	23.03.2021	24.03.2021	28.03.2021 2021 का 13
9	राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021	22.03.2021 लो.स.	23.03.2021	25.03.2021	28.03.2021 2021 का 17

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
10	गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021	02.03.2020 लो.स.	19.03.2021	16.03.2021	25.03.2021 2021 का 8
11	राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021	15.09.2020 रा.स.	24.03.2021	16.03.2021	28.03.2021 2021 का 14
गृह मंत्रालय					
12	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021	04.02.2021 लो.स.	13.02.2021	08.02.2021	25.02.2021 2021 का 02
13	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021	15.03.2021 लो.स.	22.03.2021	24.03.2021	28.03.2021 2021 का 15
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय					
14	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021	08.02.2021 रा.स.	10.03.2021	09.02.2021	12.03.2021 2021 का 04
विधि और न्याय मंत्रालय					
15	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021	04.02.2021 लो.स.	12.02.2021	10.03.2021	11.03.2021 2021 का 03
खान मंत्रालय					
16	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021	15.03.2021 लो.स.	19.03.2021	22.03.2021	28.03.2021 2021 का 16
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय					
17	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021	12.03.2020 लो.स.	12.02.2021	10.02.2021	17.02.2021 2021 का 1
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
18	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021	13.02.2021 लो.स.	19.03.2021	22.03.2021	13.04.2021 2021 का 18
सत्रहवीं लोक सभा का छठा सत्र और राज्य सभा का 254वां सत्र					
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय					
1	नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021	29.07.2021 रा.स.	04.08.2021	30.07.2021	09.08.2021 2021 का 22
आयुष मंत्रालय					
2	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021	09.08.2021 लो.स.	10.08.2021	11.08.2021	18.08.2021 2021 का 38

3	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021	09.08.2021 लो.स.	10.08.2021	11.08.2021	18.08.2021 2021 का 39
	नागर विमानन मंत्रालय				
4	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021	24.03.2021 लो.स.	29.07.2021	04.08.2021	12.08.2021 2021 का 28
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय				
5	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021	26.07.2021 लो.स.	28.07.2021	03.08.2021	11.08.2021 2021 का 26
6	सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021	30.07.2021 रा.स.	09.08.2021	04.08.2021	13.08.2021 2021 का 31
	रक्षा मंत्रालय				
7	आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021	22.07.2021 लो.स.	03.08.2021	05.08.2021	11.08.2021 2021 का 25
	शिक्षा मंत्रालय				
8	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021	05.08.2021 लो.स.	06.08.2021	09.08.2021	12.08.2021 2021 का 27
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021	30.07.2021 लो.स.	04.08.2021	05.08.2021	12.08.2021 2021 का 29
	वित्त मंत्रालय				
10	फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021	14.09.2020 लो.स.	26.07.2021	29.07.2021	09.08.2021 2021 का 21
11	निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021	30.07.2021 रा.स.	09.08.2021	04.08.2021	13.08.2021 2021 का 30
12	अधिकरण सुधार विधेयक, 2021	02.08.2021 लो.स.	03.08.2021	09.08.2021	13.08.2021 2021 का 33
13	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021	05.08.2021 लो.स.	06.08.2021	09.08.2021	13.08.2021 2021 का 34
14	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021	30.07.2021 लो.स.	02.08.2021	11.08.2021	18.08.2021 2021 का 37

15	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021	28.07.2021 लो.स.	28.07.2021	–	17.08.2021 2021 का 36
16	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021	28.07.2021 लो.स.	28.07.2021	–	17.08.2021 2021 का 35
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
17	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021	13.02.2019 लो.स.	26.07.2021	15.03.2021	30.07.2021 2021 का 19
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय					
18	नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021	15.03.2021 लो.स.	22.03.2021	27.07.2021	31.07.2021 2021 का 20
19	अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021	22.07.2021 लो.स.	29.07.2021	02.08.2021	11.08.2021 2021 का 24
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
20	संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021	09.08.2021 लो.स.	10.08.2021	11.08.2021	18.08.2021 105वां संविधान संशोधन
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
21	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021	02.08.2021 रा.स.	09.08.2021	05.08.2021	13.08.2021 2021 का 32
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
22	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021	15.03.2021 लो.स.	24.03.2021	28.07.2021	07.08.2021 2021 का 23
सत्रहवीं लोक सभा का सातवां सत्र और राज्य सभा का 255वां सत्र					
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय					
1	कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021	29.11.2021 लो.स.	29.11.2021	29.11.2021	30.11.2021 2021 का 40
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
2	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021	15.03.2021 लो.स.	06.12.2021	09.12.2021	18.12.2021 2021 का 43

वित्त मंत्रालय					
3	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021	06.12.2021 लो.स.	13.12.2021	20.12.2021	29.12.2021 2021 का 48
4	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021	20.12.2021 लो.स.	20.12.2021	–	12.01.2022 2022 का 01
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
5	सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021	15.07.2019 लो.स.	17.12.2021	08.12.2021	25.12.2021 2021 का 47
6	सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021	14.09.2020 लो.स.	01.12.2021	08.12.2021	18.12.2021 2021 का 42
विधि और न्याय मंत्रालय					
7	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021	30.11.2021 लो.स.	08.12.2021	13.12.2021	18.12.2021 2021 का 44
8	निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021	20.12.2021 लो.स.	20.12.2021	21.12.2021	29.12.2021 2021 का 49
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
9	केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021	03.12.2021 लो.स.	09.12.2021	14.12.2021	18.12.2021 2021 का 46
10	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021	03.12.2021 लो.स.	09.12.2021	14.12.2021	18.12.2021 2021 का 45
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय					
11	बांध संरक्षा विधेयक, 2021	29.07.2019 लो.स.	08.12.2021	02.12.2021	13.12.2021 2021 का 41

* संशोधनों से सहमत होना।

परिशिष्ट - 3
(देखें पैरा 4.7)

17वीं लोक सभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

लोक सभा

I. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

1. वन्य-जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
2. राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2021
3. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021
4. बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

II. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

5. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
6. समुद्री दस्युता रोधी विधेयक, 2019
7. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

III. संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक

8. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

VI. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक

9. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

राज्य सभा

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

II. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

2. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
3. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
4. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013

5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

III. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

6. मध्यकता विधेयक, 2021

IV. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

7. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
8. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
9. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
10. बीज विधेयक, 2004
11. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
12. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
13. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
14. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
15. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
16. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
17. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
18. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
19. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
20. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
21. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
22. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
23. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
24. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2020

परिशिष्ट – 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण

केंद्रीय बजट

क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2021-2022 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण	01.02.2021	01	49	01.02.2021	-	-
2.	वर्ष 2021-2022 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	10.02.2021 11.02.2021 13.02.2021	14	42	10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021	10	56
3.	रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	10.03.2021 15.03.2021 16.03.2021	09	21	#	#	#
4.	शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	16.03.2021	07	26	#	#	#
5.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	17.03.2021	04	56	#	#	#
6.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2021-22 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) कृषि और किसान कल्याण (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) रसायन और उर्वरक (5) नागर विमानन (6) कोयला (7) वाणिज्य और उद्योग (8) संचार (9) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (10) कारपोरेट कार्य	17.03.2021	-	06	#	#	#

	(11) संस्कृति (12) रक्षा (13) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (14) पृथ्वी-विज्ञान (15) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (16) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (17) विदेश (18) वित्त (19) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (21) भारी उद्योग और लोक उद्यम (22) गृह						

	(23) आवासन और शहरी कार्य (24) सूचना और प्रसारण (25) जल शक्ति (26) श्रम और रोजगार (27) विधि और न्याय (28) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (29) खान (30) अल्पसंख्यक कार्य (31) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (32) पंचायती राज (33) संसदीय कार्य (34) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (36) योजना (37) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (38) विद्युत (39) लोक सभा (40) राज्य सभा (41) उप राष्ट्रपति सचिवालय (42) सड़क परिवहन और राजमार्ग (43) ग्रामीण विकास (44) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (45) कौशल विकास और उद्यमिता (46) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (47) अंतरिक्ष विभाग (48) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (49) इस्पात (50) वस्त्र (51) पर्यटन (52) जनजातीय कार्य (53) महिला और बाल विकास (54) युवा कार्य और खेल।						
7.	वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा बैच	18.03.2021	03	41	#	#	#
8.	वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें;	17.03.2021					
9.	वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान मांगें;	17.03.2021					

10.	वर्ष 2020-21 के लिए पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें;	17.03.2021					
11.	वर्ष 2021-22 के लिए पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान मांगें;	17.03.2021					
12.	वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (2021-22 का पहला बैच)	28.07.2021	00	09	#	#	#
13.	वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें						
14.	वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (2021-22 का दूसरा बैच)	14.12.2021 20.12.2021	04	49			

टिप्पणी: #राज्य सभा में विभिन्न मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयकों के माध्यम से चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट – 5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना	16.11.90	स्वीकृत	06	34

	विश्वास व्यक्त करता है – श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया		हां – 280 नहीं – 214		
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां – 240 नहीं – 109 अनुपस्थित – 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.05.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां – 190 नहीं – 338 अनुपस्थित – 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल	15.4.1999 16.4.1999	अस्वीकृत	24	58

	बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	17.4.1999	हां – 269 नहीं – 270		
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 256	15	11

परिशिष्ट - 6
(देखें पैरा 5.5)

01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुन:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

1. श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
2. श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य द्वारा धर्म संपरिवर्तन (प्रतिषेध) विधेयक, 2019
3. श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 14क का अंत:स्थापन, आदि)
4. श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019
5. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा एम्बुलेंस चालक एवं सहायक (कल्याण) विधेयक, 2021
6. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 61 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
7. श्री एन.के प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा (प्रशासन) विधेयक, 2019
8. श्री एन.के प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2020
9. श्री एन.के प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन आदि)
10. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा संपर्क-विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2019
11. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा पूर्व-विधायी परामर्श विधेयक, 2019
12. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र में सूचना प्रदाता (संरक्षण) विधेयक, 2020
13. श्री विनायक राऊत, संसद सदस्य द्वारा तटीय क्षेत्रों में लाइट फिशिंग पर पूर्ण प्रतिषेध और मात्स्यिकी की पारंपरिक तकनीक का संरक्षण और विकास विधेयक, 2019
14. श्री विनायक राऊत, संसद सदस्य द्वारा तटीय क्षेत्रों में उद्यान-कृषि फसल ताजे जल की फसल और लवणीय जल की फसल (न्यूनतम समर्थन मूल्य) विधेयक, 2020
15. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा मसाले (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक, 2019

16. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा यातना तथा अत्याचार निवारण (लोक सेवकों द्वारा) विधेयक, 2019

17. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा वन्यजीवों के हमलों के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2021

18. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा आसूचना सेवा (शक्तियां और विनियमन) विधेयक, 2019

19. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)

20. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 80 का संशोधन, आदि)

21. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा कानूनी कार्रवाई के बिना दंड देने से संरक्षण विधेयक, 2020

22. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना विधेयक, 2019

23. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा डाटा एकांतता और संरक्षण विधेयक, 2019

24. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 26क का अत:स्थापन)

25. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2019 (धारा 5 का संशोधन, आदि)

26. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 3ड. का अंत:स्थापन आदि)

27. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, संसद सदस्य द्वारा सरकारी स्थापनों और विद्यालयों में वर्षाजल का निवार्य संचयन विधेयक, 2019

28. डा. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

29. श्री हिबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनच्छेद 39क का संशोधन)

30. श्री हिबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (एर्नाकुलम, मुंबई और कोलकाता में सर्किट न्यायपीठों की स्थापना) विधेयक, 2020

31. श्री धैर्यशील संभाजी राव माणे, संसद सदस्य द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (धारा 2 और 9 संशोधन)

32. श्री धैर्यशील संभाजी राव माणे, संसद सदस्य द्वारा कपास उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2019

33. श्री धैर्यशील संभाजी राव माणे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं अनुसूची का संशोधन)

34. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं एवं कल्याण) विधेयक, 2019

35. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा मलिन बस्ती और झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

36. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा कलाकार कल्याण विधेयक, 2019

37. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ, संसद सदस्य द्वारा अनाथ और लावारिस बालक (कल्याण) विधेयक, 2020

38. श्री कृपाल तुमाने, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)

39. श्री कृपाल तुमाने, संसद सदस्य द्वारा एक-समान नागरिक संहिता विधेयक, 2019

40. श्री कृपाल तुमाने, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

41. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा स्वापन औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

42. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 300ख का अंत:स्थापन)

43. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन)

44. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)

45. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 15 का संशोधन, आदि)

46. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 127ख का अंत:स्थापन)

47. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

48. श्री एंटो एंटोनी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (नए अनुच्छेद 14क का अंत:स्थापन)

49. श्री एंटो एंटोनी, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (नई धारा 18क का अंत:स्थापन)

50. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 संशोधन, आदि)

51. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (नई धारा 28क, 28ख, 28ग, 28घ तथा 28ड. का अंत:स्थापन)

52. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं और 12वीं अनुसूची का संशोधन)

53. श्री गिरिश बालचंद्र बापट, संसद सदस्य द्वारा आयुर्वेदिक उपचार के लिए बीमा कवरेज विधेयक, 2021

54. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महिला किसान आयोग विधेयक, 2019

55. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2019

56. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास आयोग विधेयक, 2019

57. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुसूची का संशोधन)

58. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य द्वारा ओडिश राज्य के के.बी.के.-के. क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020

59. श्री टी.एन. प्रथापन, संसद सदस्य द्वारा एक वृक्ष प्रति शिशु मानक प्रोत्साहन विधेयक, 2020

60. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य द्वारा ऋतुस्राव संबंधी स्वास्थ्य और सवैतनिक अवकाश का अधिकार विधेयक, 2019

61. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य द्वारा पितृत्व प्रसुविधा विधेयक, 2019

62. डॉ. टी.आर. पारिवेंधर, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 326 का संशोधन)

63. डॉ. टी.आर. पारिवेंधर, संसद सदस्य द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोक सभा) विकास निधि विधेयक, 2020

64. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा वन्यजीव गलियारे विधेयक, 2019

65. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 19 का संशोधन)

66. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा मानव दुर्व्यापार (निवारण) विधेयक, 2019

67. डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

68. डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन)

69. डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 12 का संशोधन)

70. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)

71. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 12 का संशोधन)

72. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं अनुसूची का संशोधन)

73. श्री प्रदयुत बोरदोलोई, संसद सदस्य द्वारा दोहरा समय-परिक्षेत्र विधेयक, 2020

74. श्री थॉमस चाजिकाडन, संसद सदस्य द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 (नई धारा 39क का अंत:स्थापन)

75. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन (सत्त विकास और संवर्धन) विधेयक, 2019

76. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2019

77. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 2019

78. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य जल संरक्षण और पुनर्भरण विधेयक, 2019

79. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट सहायता विधेयक, 2021

80. श्री रमेश बिधुड़ी, संसद सदस्य द्वारा बेरोजगार स्नातकोत्तरों को वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

81. श्री रमेश बिधुड़ी, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थओं में नैतिक शिक्षा पाठ्य-पुस्तक के रूप में भगवद्गीता का अनिवार्य शिक्षण, 2019

82. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय किसान कल्याण आयोग विधेयक, 2019

83. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा पवित्र शहर देवधर (सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण) विधेयक, 2019

84. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा कृषकों के परिवारों का संरक्षण विधेयक, 2019

85. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा युवक (विकास और कल्याण) विधेयक, 2019

86. श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

87. श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना विकास विधेयक, 2019

88. श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय (महोबा में एक स्थायी न्यायापीठ की स्थापना) विधेयक, 2019

89. श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा का संस्कृत भाषा का संवर्धन विधेयक, 2019

90. श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 123क का अंत:स्थापन)

91. श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय तीर्थयात्रा निधि विधेयक, 2019

92. डॉ. डी. रविकुमार, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 129 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)

93. डॉ. डी. रविकुमार, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 62 का संशोधन)

94. डॉ. डी. रविकुमार, संसद सदस्य द्वारा भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2021 (नई धारा 114कक का अंत:स्थापन)

95. डॉ. थोल तिरूमावलवन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 124 का संशोधन, आदि)

96. डॉ. थोल तिरूमावलवन, संसद सदस्य द्वारा संविधान की पाँचवीं अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2020

97. डॉ. थोल तिरूमावलवन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 55 का संशोधन, आदि)

98. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 47क का अंत:स्थापन, आदि)

99. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद, संसद सदस्य द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (चेन्नई में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2020

100. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

101. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा समुद्रपारीय कर्मकार (प्रबंध और कल्याण) विधेयक, 2019

102. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2019

103. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019

104. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन)

105. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं अनुसूची का संशोधन)

106. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महिला किसान आयोग विधेयक, 2019

107. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुसूची 1 का संशोधन)

108. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या (स्थिरीकरण और योजना) विधेयक, 2019

109. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्यालयों में अनिवार्य खेल और शारीरिक शिक्षा एवं अवसंरचना का विकास विधेयक, 2019

110. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 239ग का अंत:स्थापन)

111. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सरकारी स्थापनाओं में पदों का आरक्षण विधेयक, 2019

112. श्री देवजी एम. पटेल, संसद सदस्य द्वारा विशेष पेयजल एवं सिंचाई विकास निधि (डार्क जोन क्षेत्र) विधेयक, 2019

113. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा बेरोजगार युवा (भत्ते तथा रोजगार के अवसर) विधेयक, 2019

114. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 50 का संशोधन, आदि)

115. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा विदेशी मूल के व्यक्तियों की निरर्हता विधेयक, 2019

116. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 22 का संशोधन, आदि)

117. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा दिल्ली सीलिंग का निवारण विधेयक, 2019

118. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2019

119. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 62 का संशोधन)

120. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 21क का संशोधान)

121. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा असम राज्य में संदिग्ध मतदाता (विशेष उपबंध) विधेयक, 2020

122. डॉ. अलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा रोजगार विधेयक, 2020

123. डॉ. अलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2020

124. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा श्रम (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2020

125. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

126. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र मे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2020

127. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रवेश में आरक्षण विधेयक, 2020

128. श्री ए. गणेशमूर्ति, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 120 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

129. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा बेरोजगार युवा (भत्ते तथा रोजगार के अवसर) विधेयक, 2019

130. श्री कीर्ति पी. चिदंबरम, संसद सदस्य द्वारा बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन)

131. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य द्वारा संसद सदस्य का ग्रामीण श्रमिक (कल्याण) विधेयक, 2020

132. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य द्वारा संसद संदस्य का राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद विधेयक, 2020

133. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुसूची 1 का संशोधन)

134. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य द्वारा सौर संयंत्रों का अनिवार्य संस्थापन विधेयक, 2021

135. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11 का संशोधन)

136. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुसूची का संशोधन)

137. श्री अनुभव मोहंती, संसद सदस्य द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11 का संशोधन)

138. श्री अनुभव मोहंती, संसद सदस्य द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11 का संशोधन)

139. श्री अनुभव मोहंती, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 41 और 309 का संशोधन)

140. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य द्वारा ठूंठ का प्रबंधन और नियंत्रण विधेयक, 2021

141. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या (नियंत्रण और प्रबंधन) विधेयक, 2021

142. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा जलवायु परिवर्तन (नेट जीरो कार्बन) विधेयक, 2021

143. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2020 (नई धारा 2क का अंत:स्थापन)

144. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

145. श्री कनुमुरू रघु राम कृष्ण राजू, संसद सदस्य द्वारा कृषकों और कृषि श्रमिकों को नकद सहायकी का संदाय विधेयक, 2019

राज्य सभा

1. श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020

2. श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

3. श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

4. श्री प्रसन्न आचार्य, संसद सदस्य द्वारा ओडिशा उच्च न्यायालय (पश्चिमी ओडिशा में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2020

5. श्री वाइको, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 248 का लोप और सातवीं अनुसूची का संशोधन)

6. डॉ. विकास महात्मे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

7. डॉ. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

8. डॉ. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

9. डॉ. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2021

10. श्री तिरूची शिवा, संसद सदस्य द्वारा महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2021

11. श्री के.टी.एस. तुलसी, संसद सदस्य द्वारा कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुंबों के अधिकार (विभेद के प्रति संरक्षण और सामाजिक कल्याण की गारंटी) विधेयक, 2021

12. श्री के.टी.एस. तुलसी, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

13. श्री के.टी.एस. तुलसी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)

14. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा आयुध (संशोधन) विधेयक, 2021

15. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा अकादमिक सत्यनिष्ठा विधेयक, 2021

16. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2021

17. श्री नीरज डांगी, संसद सदस्य द्वारा रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध विभेद का प्रतिषेध और समान अवसर संवर्धन विधेयक, 2021

18. श्री हरनाथ सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2021

19. डॉ. नरेंद्र जाधव, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2021

20. श्री वाई.एस. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (नए अनुच्छेद 12क और 12ख का अंत:स्थापन)

21. श्री पी. विल्सन, संसद सदस्य द्वारा आयुर्विज्ञान शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

22. श्री पी. विल्सन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 130 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

परिशिष्ट - 7
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगठन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए

कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. <u>सिफारिशें</u>

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;

(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और

(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. <u>प्रशासनिक मामले</u>

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. <u>उप-समिति</u>

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

संसदीय कार्य मंत्रालय

परामर्शदात्री समिति पर नामांकन

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

क्र.सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

निम्नलिखित स्थानों पर मोबाइल/टेलीफोन तथा फैक्स नंबर

(क) दिल्ली का पता:.....

.....

(ख) स्थायी पता:.....

.....

(ग) ईमेल आईडी:

सेवा में

अवर सचिव,

संसदीय कार्य मंत्रालय,

90, संसद भवन,

नई दिल्ली।

टेलीफोन नंबर : 011-23034728

फैक्स नंबर : 011-23034744

011-23017557

ई-मेल आईडी : anil.kumar.mopa@nic.in

परिशिष्ट – 8
(देखें पैरा 8.4)

17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
3.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
4.	नागर विमानन मंत्रालय
5.	कोयला और खान मंत्रालय
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
7.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
8.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
9.	रक्षा मंत्रालय
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
11.	इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय
12.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
13.	विदेश मंत्रालय
14.	वित्त मंत्रालय
15.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
17.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
18.	गृह मंत्रालय
19.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
20.	शिक्षा मंत्रालय

21.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
22.	जल शक्ति मंत्रालय
23.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
24.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
25.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
26.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
27.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
28.	रेल मंत्रालय
29.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
30.	ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय
31.	पोत परिवहन मंत्रालय
32.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
33.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
34.	इस्पात मंत्रालय
35.	वस्त्र मंत्रालय
36.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
37.	महिला और बाल विकास मंत्रालय
38.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट – 9

(देखें पैरा 8.5)

वर्ष 2021 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	07.05.2021, 09.09.2021
चर्चा किए गए विषय	प्रधान मंत्री किसान, कृषि अवसंरचना कोष प्रधान मंत्री किसान और कृषि अवसंरचना कोष और एमआईडीएच योजना
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	27.01.2021, 13.12.2021
चर्चा किए गए विषय	भारत में गोजातीय पशुओं की नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी) और अन्य उपाय, पीएमएमएसवाई और अंतर्देशीय एवं समुद्री मात्स्यिकी विकास
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	16.03.2021
चर्चा किए गए विषय	चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में शासन को सुदृढ़ बनाना
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	18.02.2021, 27.08.2021, 07.12.2021
चर्चा किए गए विषय	विमानन क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव और आगे की राह, ड्रोन उद्योग का विकास, उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ)
कोयला और खान मंत्रालय	

बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	01.07.2021, 27.10.2021
चर्चा किए गए विषय	(1) कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन तक पहुंचना (कोयला मंत्रालय) (2) खनन प्रभावित परिवारों की आजीविका में सुधार करने में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की भूमिका (खान मंत्रालय), झरिया मास्टर प्लान
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	12.01.2021, 24.03.2021, 13.07.2021, 19.11.2021
चर्चा किए गए विषय	नई विदेश व्यापार नीति, भारत में विनिर्माण आधार को मजबूत करना, कोविड पश्चात दुनिया में व्यापार - नीति और प्रोस्पेक्टस, कोविड पश्चात स्थिति में विनिर्माण और पुनरुद्धार के लिए निवेश प्रोत्साहन
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	09.08.2021, 19.11.2021
चर्चा किए गए विषय	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	23.07.2021, 21 और 22.10.2021
चर्चा किए गए विषय	डीआरडीओ कार्यक्रम, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	08.04.201, 22.12.2021
चर्चा किए गए विषय	उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (एनईएसआईडीएस) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष पैकेज की समीक्षा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित (या समन्वित) आजीविका

	योजनाएँ
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	02.03.2021, 23.12.2021
चर्चा किए गए विषय	पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)
इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	11.01.2021
चर्चा किए गए विषय	5G की चुनौतियाँ और अवसर
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	16.01.2021, 12.11.2021
चर्चा किए गए विषय	भारत की वैश्विक रणनीति, क्वाड और इंडो-पैसिफिक
वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	28.09.2021
चर्चा किए गए विषय	अवसंरचना विकास हेतु नए राष्ट्रीय बैंक के प्रभावी कामकाज के लिए सुझाव
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	12.01.201, 07.05.2021, 29.10.2021
चर्चा किए गए विषय	(i) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार की योजना और (ii) प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास योजना; सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम-एफएमई योजना) का प्रधानमंत्री औपचारिककरण, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	

बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	13.08.2021, 08.12.2021
चर्चा किए गए विषय	कोविड-19 पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई] खाद्य विनियम
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	05.01.2021, 02.03.2021, 10.08.2021, 21.12.2021
चर्चा किए गए विषय	पूंजीगत माल क्षेत्र - प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, ई-मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, ई-मोबिलिटी
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	12.03.2021, 28.10.2021, 21.12.2021
चर्चा किए गए विषय	उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शांति के प्रयास, तटीय सुरक्षा, साइबर अपराध के खतरे, चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	07.01.2021, 09.08.2021, 21.12.2021
चर्चा किए गए विषय	(i) पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वानिधि योजना) (ii) किफायती किराया आवास परिसर योजना (एआरसीएच), सभी के लिए आवास, स्मार्ट सिटी मिशन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	12.01.2021, 01.03.2021, 01.11.2021

चर्चा किए गए विषय	डिजिटल/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म-वे फोरवार्ड प्रसारण में नई तकनीक, प्रसारण में नई तकनीक
जल शक्ति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	12.02.2021, 10.08.2021
चर्चा किए गए विषय	जल जीवन मिशन, जल जीवन अभियान
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	02.03.2021, 22.12.2021
चर्चा किए गए विषय	खनन कामगारों की सुरक्षा, ई-श्रम पोर्टल और सामाजिक सुरक्षा संहिता
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	26.10.2021
चर्चा किए गए विषय	स्फूर्ति योजना
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	14.12.2021 से 15.12.2021
चर्चा किए गए विषय	ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	19.01.2021, 09.11.2021

चर्चा किए गए विषय	(i) भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का प्रस्तुतिकरण और समीक्षा (ii) तटीय पोत परिवहन, 2020 का प्रस्तुतिकरण और समीक्षा, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	18.01.2021, 03.03.2021, 23.08.2021, 10.12.2021
चर्चा किए गए विषय	बेहतर सेवा देने के लिए डिस्कॉम का सुधार, प्रस्तावित सुधार, डिस्कॉम की व्यवहार्यता बहाल करने में एसईआरसीज और राज्य सरकारों की भूमिका, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा सुधार
ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	13.01.2021, 27.05.2021
चर्चा किए गए विषय	प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीन दयाल अंतोद्य योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.01.2021, 12.08.2021, 20.12.2021
चर्चा किए गए विषय	(i) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन (ii) कॉक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम की प्रगति और नए अस्पतालों का कार्यान्वयन (iii) नशा मुक्ति भारत अभियान राष्ट्रीय निधि की प्रगति, राष्ट्रीय वायु श्री योजना
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	06.08.2021, 15.11.2021, 21.12.2021
चर्चा किए गए विषय	उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना,

	इस्पात उपयोग, भारत में मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	22.01.2021, 20.11.2021
चर्चा किए गए विषय	तकनीकी वस्त्र का विकास, रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का विकास
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	11.08.2021
चर्चा किए गए विषय	(i) अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) सहित जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम; तथा (ii) जनजातीय समुदायों में सिकल सेल रोग से निपटने में हुई प्रगति
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	09.01.2021, 13.02.2021
चर्चा किए गए विषय	पोषण, मिशन वात्सल्य

परिशिष्ट - 10
(देखें पैरा 11.8)

1 से 14 सितंबर, 2021 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	श्री यशपाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		4	श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		5	श्री राहुल आर्य, कार्यालय सलाहकार	तृतीय
		6	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	श्री प्रविन्द्र खत्री, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
		2	श्री यशपाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	श्री नरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
		4.	श्रीमती साक्षी अग्रवाल, वैयक्तिक सहायक	विशेष
3.	गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री जे.एन. नायक, निजी सचिव	प्रथम
		2	श्री ए.एन. बालचंद्रन नायर, सलाहकार/सहायक	द्वितीय
		3	श्री पी.के. हलदर, अवर सचिव	द्वितीय
		4	श्री श्रीधर स्वामी, कार्यालय सलाहकार	तृतीय
4.	बहुकार्य स्टाफ के लिए हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	श्री नरेश कुमार, एम.टी.एस.	प्रथम
		2	श्री पवन कुमार, एम.टी.एस.	प्रथम
		3	श्रीमती अनामिका सिंह, एम.टी.एस.	द्वितीय
		4	श्री सुधांशू चौधरी, एम.टी.एस.	तृतीय
		5	श्री आनंद कुमार, एम.टी.एस.	तृतीय
		6	श्री राजेश मीणा, एम.टी.एस.	विशेष

मंत्रालय में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	**पुरस्कार विजेता**	**पुरस्कार**
1.	श्री परेश गोयल, कार्यालय सलाहकार	प्रथम
2.	श्री बीरेन्द्र कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
3.	श्री राहुल आर्य, कार्यालय सलाहकार	द्वितीय
4.	श्री जय नारायण, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
5.	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
6.	श्रीमती पायल सिंह, कार्यालय सलाहकार	तृतीय
7.	श्री अंकित मुदगल, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
8.	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय

परिशिष्ट - 11

(देखें पैरा 13.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1	टिकट संग्रह संबंधी सलाहकार समिति (डाक विभाग) पर संसद सदस्यों का नामांकन	@श्रीमती सुनीता दुग्गल	#श्री एस. सेल्वागनवेथी	@12.11.2021 #17.11.2021
2	भारतीय मानक ब्यूरो	श्री भोला सिंह	श्री महेश पोद्दार	24.11.2021
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (एनआरएलपीएस) का सामान्य निकाय	श्री जगदंबिका पाल	श्रीमती रमिलाबेन बारा	08.01.2021
4	निदेशक मंडल नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)	श्री नलिन कुमार कटील श्री प्रवेश साहिब सिंह	श्रीमती रूपा गांगूली	08.01.2021
5	नेहरू युवा केंद्र संगठन का निदेशक मंडल - युवा कार्य और खेल मंत्रालय	श्री गौतम गंभीर श्री तेजस्वी सूर्या	श्री के.सी. रामामूर्ति	16.06.2021
6	सोसाइटी ऑफ द वाइल्डलाइफ ऑफ इंडिया, देहरादून, उत्तराखंड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्री अजय मिश्रा (टेनी) श्री अजय भट्ट	श्री नरेश बंसल	16.06.2021
7	राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड (एनएईबी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्री मोहन मानडावी	श्री स्वपन दास गुप्ता	16.06.2021
8	केआरयूसीसी, रेल मंत्रालय	श्री विनायक भाऊराव राऊत श्री अनंत कुमार हेगडे श्री फ्रांसिसको कोसमे सरदिन्हा श्री सुरेश कोडिकुन्निल	डा. विकास महात्मे श्री इरण्ण कडाडि श्री विनय दीनू तेंदुलकर श्री अब्दुल वहाब	16.06.2021
9	एमआरयूसीसी, रेल मंत्रालय	श्रीमती माला रॉय	श्रीमती रूपा गांगूली	16.06.2021

		श्री शांतनू ठाकुर		
10	प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति – **उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**	#श्री सुरेश कुमार कश्यप, भाजपा, **हिमाचल प्रदेश**	डा. वानविरॉय खारलूखी, एनपीपी, **मेघालय** श्रीमती रमिला बेचारभाई बारा, भाजपा, **गुजरात** श्री इरण्ण कडाडि, भाजपा, **कर्नाटक** श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा, भाजपा **मणिपुर** श्री के. वेंलेल्वना, एमएनएफ-**मिज़ोरम** श्री जी.के. वासन, टीएमसी (एम) - **तमिल नाडु** श्री गोपाल नारायण सिंह, भाजपा-**बिहार** डा. के. केशव राव, टीआरएस - **तेलंगाना**	08.01.2021 #23.11.2021
11	क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति **(आरडीटीएसी)**	डा. (प्रो.) किरिट पी. सोलंकी, भाजपा-**अहमदाबाद** श्री गंगासंद्रा सिद्दप्पा, भाजपा-**बंगालौर** श्री उदय प्रताप सिंह, भाजपा-**भोपाल** श्री पिनाकी मिश्रा, बीजेडी-**भुवनेश्वर** श्री अर्जुन सिंह, भाजपा-**कोलकाता** श्रीमती किरण खेर, भाजपा-**चंडीगढ** श्री वी.के. श्रीकंदम, भाराकां-**कोचि (कोचिन)** श्री रमेश बिधुड़ी, भाजपा-**दिल्ली** श्री पल्लभ लोचन दास, भाजपा-**गुवाहाटी** श्री अरविंद धर्मापुरी, भाजपा-**हैदराबाद** श्री रामचरण बोरा, भाजपा-**जयपुर** श्री कुवर पुशपेंद्र सिंह चंदेल,	श्री राजेंद्र गहलोत, भाजपा-**जोधपुर** श्री स्वेत मलिक, भाजपा-**पटियाला** श्री नरेश गुजराल, एसएडी-**जालंधर** श्री ए. नवनीत कृष्णन, एआईएडीएमके-**चेन्नई** श्री सतीश चंद्र दुबे, भाजपा-**मुज़फ्फरपुर** श्रीमती ममता मोहंता, बीजेडी-**कटक** श्री एस.आर. बालासुब्रमोनियन, एआईएडीएमके-**कोयंबटूर** श्री सुरेश गोपी, भाजपा-**तिरूचिरापल्ली** श्री ए. विजयकुमार, एआईएडीएमके-**मदुरै**	

		भाजपा–**कानपुर** श्री मनोज किशोरभाई कोटक, भाजपा–**मुंबई** श्रीमती सुनीता दुग्गल, भाजपा–**पंचकुला** श्री राजीव रंजन सिंह (ललन) जद(यू) –**पटना** डा. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटिल, भाजपा–**पुणे** श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट, भाजपा–**बडोदा** श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, भाजपा–**सूरत** श्री राजेशभाई नारनभाई चूडासमा, भाजपा–**राजकोट** श्री निहाल चंद चौहान, भाजपा–**बीकानेर** श्री चंद्र प्रकाश जोशी, भाजपा–**उदयपुर** डा. डाल सिंह बिसेन, भाजपा–**जबलपुर** डा. कृष्णपाल सिंह यादव, भाजपा–**ग्वालियर** श्री शंकर लालवानी, भाजपा–**इंदौर** श्री संतोष पांडे, भाजपा–**रायपुर** श्री जमयांग शेरिंग नमग्याल, भाजपा–**अमृतसर** श्री रमेश चंदर कौशिक, भाजपा–**रोहतक** श्री रवनीत सिंह, भाराकां–**लुधियाना** श्री किशन कपूर, भाजपा–**शिमला** श्री पंकज चौधरी, भाजपा–**इलाहाबाद** श्री अजय मिश्रा (टेनी), भाजपा–**बरेली** श्री विरेंद्र सिंह, भाजपा–**वाराणसी**	श्री अयोध्या राम रेड्डी, वाईएसआरसीपी–**गुंटूर** श्री सी.एम. रमेश, भाजपा–वाईजैग श्री व्यालार रवि, भाराकां–**त्रिवेंद्रम** श्री के.जे. अल्फोंस, भाजपा–**कोझिकोड** डा. भगवत कराड, भाजपा–**नासिक** डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे, भाजपा–**थाणे** डा. अनिल अग्रवाल, भाजपा–**गाजियाबाद**	

		प्रो. एस.पी. सिंह वघेल, भाजपा-**आगरा** श्री राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा-**मेरठ** श्री संजय सेठ, भाजपा-**रांची** कुमारी अगाथा के. संगमा, एनपीपी-**शिलाँग** श्री पशुपति नाथ सिंह, भाजपा-**धनबाद** डा. जयंत कुमार रॉय, भाजपा-**जलपाईगुडी** श्री भगवंत खुबा, भाजपा-**हुबली** श्री पर्वतगौडा चंदनगौडा गद्दीगौडर, भाजपा-**पणजी** श्री प्रताप सिम्हा, भाजपा-**मैसूर** श्री संजय (काका) पमचंद्र पाटिल, भाजपा-**कोल्हापुर** श्रीमती सुनिल बाबूराव मेंडहे, भाजपा-**नागपुर** श्री मिधुन रेड्डी, वाईएसआरसीपी-**तिरूपति** श्री बालाशोरी वल्लभनेनी, वाईएसआरसीपी-**विजयवाडा** श्री अजय टम्टा, भाजपा-**देहरादून** श्री एस.एस. अहलुवालिया, भाजपा-**दुर्गापुर**		
12	**जेडआरयूसीसी** मध्य रेलवे क्षेत्र	1. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी (भाजपा) 2. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (भाजपा) 3. नंद कुमार सिंह चौहान (भाजपा) 4. श्रीमती पूनम (महाजन) वजिंदला राव (भाजपा) 5. डा. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी (भाजपा)	1. डा. भागवत किशनराव कराड (भाजपा) 2. डा. विनय पी सहस्रबुद्धे (भाजपा) 3. श्रीमती वंदना चव्हाण (एनसीपी)	21.01.2021

		6. श्रीमती नवीत रवि राणा (निर्दलीय) 7. श्री अरविंद गणपत सावंत (शिव सेना)		
	पूर्वी रेलवे क्षेत्र	1. श्री अर्जुन सिंह 2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी (भाजपा) 3. श्री शांतनु ठाकुर (भाजपा) 4. श्री निशिकांत दुबे (भाजपा) 5. श्री विजय कुमार हंसदाक (जेएमएम) 6. श्री अधीर रंजन चौधरी (भाराकां) 7. श्री गिरिधारी यादव (जदयू)	1. श्री सुखेंदु शेखर राय (एआईटीसी) 2. श्री पी. भट्टाचार्य (भाराकां) 3. श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह (जद-यू)	
	पूर्व - मध्य क्षेत्र	1. श्री अजय निषाद (भाजपा) 2. श्री छेदी पासवान (भाजपा) 3. श्री जयंत सिन्हा (भाजपा) 4. श्री पशुपति नाथ सिंह (भाजपा) 5. श्रीमती रमा देवी (भाजपा) 6. श्री प्रिंस राज (एलजेएसपी) 7. श्री कौशलेंद्र कुमार (जेडीयू)	1. श्री सतीश चंद्र दुबे (भाजपा) 2. श्री विवेक ठाकुर (भाजपा) 3. राम नाथ ठाकुर (जद-यू)	
	पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र	1. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (भाजपा) 2. श्रीमती अपराजिता सारंगी (भाजपा) 3. श्री भर्तृहरि महताब (बीजद) 4. श्री दीपक बैज (भाराकां) 5. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण (वाईएसआरसीपी) 6. श्री पिनाकी मिश्रा (बीजद) 7. श्री किनजरापु राम मोहन नायडु	1. श्री प्रसन्ना आचार्या (बीजेडी) 2. श्री अश्विनी वैष्णव (भाजपा) 3. श्री मुज़िबुल्ला खान (बीजेडी) 1. श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी (भाजपा)	

	उत्तरी रेलवे क्षेत्र	(टीडीपी) 1.श्री जुगल किशोर शर्मा (भाजपा) 2.श्री तीरथ सिंह रावत (भाजपा) 3. श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) (भाजपा) 4. श्री रमेश बिधुडी (भाजपा) 5. श्री रमेश चंद्र कौशिक (भाजपा) 6. श्री मलूक नागर (बसपा) 7. श्री रवनीत सिंह (भाराकां)	2. डा. अशोक वाजपेयी (भाजपा) 3. दीपेंदर सिंह (भाराकां) 1. श्री सकलदीप राजभर (भाजपा) 2. श्री नीरज शेखर (भाजपा) 3. श्री रामजी (बसपा)	
	उत्तर-पूर्वी रेलवे क्षेत्र	1. श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन शुक्ला (भाजपा) 2. श्री अजय (टेनी) मिश्रा (भाजपा) 3. श्री अजय टम्टा (भाजपा) 4. डा. संधमित्रा मौर्य (भाजपा) 5. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (भाजपा) 6. श्रीमती कविता सिंह (जदयू) 7. श्री राजेश वर्मा (भाजपा)	1. श्री हरनाथ सिंह यादव (भाजपा) 2. श्री सुरेद्र सिंह (भाजपा) 3. चौ. सुकराम सिंह यादव (सपा)	
	उत्तर-मध्य रेलवे क्षेत्र	1. श्री देवेंद्र (उर्फ) भोले सिंह (भाजपा) 2. डा. विरेंद्र कुमार (भाजपा) 3. श्री राजवीन दिलेर (भाजपा) 4. श्री सतीश कुमार गौतम (भाजपा) 5. श्री अनुराग शर्मा (भाजपा) 6. श्री विनोद कुमार सोनकर (भाजपा) 7. श्री पंखुड़ी लाल (अपना दल)	1. श्री नबम रेबिआ (भाजपा) 2. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा (भाजपा) 3. श्री बिरेंद्र प्रसाद वैश्य (एजीपी)	
	उत्तर-पूर्व फ्रंट्रीयर रेलवे क्षेत्र			

	उत्तर-पश्चिमी रेलवे क्षेत्र	1. श्री तपन कुमार गोगोई (भाजपा) 2. श्री खगेन मुर्मु (भाजपा) 3. श्री तोखेहो येपथोमी (एनडीपीपी) 4. श्री इंद्र हांग सुब्बा (एसकेएम) 5. कु. अगाथा के. संगमा (एनपीपी) 6. श्री संतोष कुमार (जदयू) 7. डा. लोरहो एस. फोज़ (एनपीएफ)	1. श्री राजेंद्र गहलोत (भाजपा) 2. (रिटा.) ले.जन. (डा.) डी.पी. वत्स (भाजपा) 3. श्री राम कुमार वर्मा (भाजपा) 1. श्री जी.के. वासन (टीएमसी) 2. श्री आर. विथिलिंगम (एआईएडीएमके) 3. श्री सुरेश गोपी (भाजपा)	
	दक्षिणी रेलवे क्षेत्र	1. श्री अर्जुन लाल मीना (भाजपा) 2. श्री धर्मबीर सिंह (भाजपा) 3. श्रीमती जसकौर मीना (भाजपा) 4. श्री निहाल चंद चौहान (भाजपा) 5. श्री रामचरण बोहरा (भाजपा) 6. श्री सुमेधानंद सरस्वती (भाजपा) 7. श्री हनुमान बेनीवाल (आरएलपी)	1. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, (वाईएसआरसी)	
	दक्षिण-मध्य रेलवे क्षेत्र	1. डा. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन (डीएमके) 2. श्री कोडिकुन्निल सुरेश (भाराकां) 3. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी) 4. श्री पी.आर. नटराजन (माकपा) एम 5. श्री रेडप्पा नल्लाकोंडा गारी (वाईएसआरएसपी) 6. श्री पी रविंद्रनाथ कुमार (एआईएडीएमके)	2. श्री सी.एम रमेश (भाजपा) 3. डा. के. केशव राव (टीआरएस) 1. श्री समीर उरांव (भाजपा) 2. श्री महेश पोद्दार	

		7. श्री दुर्गा प्रसाद राव (वाईएसआरसीपी)	(भाजपा) 3. श्री धीरज प्रसाद साहू (भाराकां)	
	दक्षिण-पूर्वी रेलवे क्षेत्र	1. श्री प्रतापराव गोविंदराव पाटिल चिखलीकर (भाजपा) 2. श्री भगवंत खुबा (भाजपा) 3. श्री सोयम बाबू राव (भाजपा) 4. डा. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (भाजपा) 5. श्री बालाशोरी वल्लभनेनी (वाईएसआरसीपी) 6. श्री मिधुन रेड्डी (वाईएसआरसीपी) 7. श्री नमा नागेश्वर राव (टीआरएस)	1. श्रीमती सम्पतिया उइके (भाजपा) 2. डा. विकास महात्मे (भाजपा) 3. श्रीमती छाया वर्मा (भाराकां)	
	दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे क्षेत्र	1. श्री विद्युत बरन महतो (भाजपा) 2. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो (भाजपा) 3. श्री खान सोमित्रा (भाजपा) 4. श्री विश्वेशवर टुडू (भाजपा) 5. डा. सुभाष सरकार (भाजपा) 6. श्री सुनील कुमार मंडल (एआईटीसी)	1. श्री इरण्ण कडाडि (भाजपा) 2. श्री नारायण कोरागप्पा (भाजपा) 3. श्री जी.सी. चंद्रशेखर (भाराकां)	
	दक्षिण-पश्चिमी रेलवे क्षेत्र	7. श्री सिसिर कुमार अधिकारी (एआईटीसी) 1. श्री संतोष पांडे (भाजपा) 2. श्री अशोक महादेवराव नेते (भाजपा) 3. श्री अरूण साहू (भाजपा) 4. श्री राकेश सिंह (भाजपा) 5. श्री सुनील कुमार सोनी (भाजपा)	1. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला (भाजपा) 2. श्री अमिन नरहरि हीराभाई (भाजपा)	

		6. श्री नकुल के. नाथ (भाराकां) 7. श्री कृपाल बालाजी तुमाने (शिव सेना)	3. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार (टीडीपी)	
	पश्चिमी रेलवे क्षेत्र	1. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या (भाजपा) 2. श्री पर्वतगौडा चंदनगौडा गद्दीगोडर (भाजपा) 3. श्री प्रताप सिम्हा (भाजपा) 4. श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी 5. डा. डीएनवी सेंनथिलकुमार एस. (डीएमके) 6. श्री डोड्डालाहल्ली केंपेगौडा सुरेश (भाराकां) 7. श्री कुरूवा गोरांतला माधव (वाईएसआरसी)	1. श्री अजय प्रताप सिंह (भाजपा) 2. श्री सुमेर सिंह सोलंकी (भाजपा) 3. श्री राजमणि पटेल (भाराकां)	
	पश्चिम-मध्य रेलवे क्षेत्र	1. श्री विनोद चावड़ा (भाजपा) 2. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (भाजपा) 3. डा. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (भाजपा) 4. डा. हीना विजय कुमार गावित (भाजपा) 5. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुनदरिया (भाजपा) 6. श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम (भाजपा) 7. श्री अनिल फिरोज़िया (भाजपा)		
		1. श्री चंद्र प्रकाश जोशी (भाजपा) 2. श्री गणेश सिंह (भाजपा) 3. डा. कृष्ण पाल सिंह यादव (भाजपा) 4. श्री विवेक नारायण शिजवालकर		

		(भाजपा) 5. श्रीमती रिति पाठक (भाजपा) 6. श्री सुभाष चंद्र बहेरिया (भाजपा) 7. श्री उदय प्रताप सिंह (भाजपा)		

परिशिष्ट - 12
(देखें पैरा 13.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री होरेन सिंह बाय	श्री मुजीबुल्लाह खान	18.10.2021
2.	वस्त्र मंत्रालय	श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल		10.09.2021
3.	रेल मंत्रालय	श्री हरीश द्विवेदी श्री राम कृपाल यादव	श्री के.सी. रामामूर्ति श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल	23.11.2021
4.	वित्त मंत्रालय के राजस्व, व्यय और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग		श्री विवेक ठाकुर	08.01.2021
5.	संस्कृति मंत्रालय	श्री सुमेधानंद सरस्वती श्री रोडमल नागर	श्री सी.एम. रमेश श्री जयप्रकाश निषाद	08.01.2021
6.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	श्री अनिल फिरोजिया डा. रमापति राम त्रिपाठी	श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा	08.01.2021
7.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	श्री भोला सिंह	श्री राम नाथ ठाकुर	08.01.2021
8.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	डा. सुकांत मजूमदार दिनांक 28.09.2021 से	श्री राम नाथ ठाकुर	08.01.2021
9.	संचार मंत्रालय (डाक विभाग)	श्री के. राम मोहन नायडु श्री होरेन सिंह बेय	श्री नीरज शेखर श्री सुरजीत कुमार	08.01.2021
10.	नीति आयोग/योजना मंत्रालय	श्री संतोष पांडे श्री पिनाकी मिश्रा	श्री हरद्वार दुबे श्री रामभाई हरिभाई मोकरिया	16.06.2021

11.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	डा. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे श्री गोरव गोगोई	श्री सतीश कुमार दुबे श्री रामविचार नेताम	16.06.2021
12.	विद्युत मंत्रालय	श्री मनोज किशोर भाई कोटक श्री सुरेश कुमार कश्यप	डा. सम्मित पात्रा श्री महेश पोद्दार	16.06.2021
13.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	श्रीमती रमा देवी श्री धर्मवीर सिंह चौधरी	श्री नारायण कोरागप्पा श्री बृजलाल	16.06.2021
14.	पंचायती राज मंत्रालय	श्री जय प्रकाश श्री जगन्नाथ सरकार	श्री इरण्ण कडाडि श्री बिरेन्द्र प्रसाद वैश्य	28.09.2021
15.	विधि और न्याय मंत्रालय	श्री प्रताप चंद्र सारंगी श्री अशोक कुमार यादव	श्री अरूण सिंह श्री धर्मपुरी श्रीनिवास	28.09.2021
16.	नागर विमानन मंत्रालय		श्री सुशील कुमार मोदी श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा	28.09.2021
17.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप		23.11.2021
18.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय		श्री महेश जेठमलानी	28.09.2021
19.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	@श्री रेवती त्रिपुरा	$श्री नबाम रेबिआ #श्रीमती रानी नाराह	$08.01.2021 #16.06.2021 @06.08.2021
20.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		श्रीमती सम्पतिया उइके	23.11.2021
21.	संयुक्त (आर्थिक कार्य और वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय		श्री राम कुमार वर्मा	23.11.2021
22.	संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)		श्री सैयद जफर इस्लाम श्री भास्कर राव नेकांति	28.09.2021
23.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		श्री टी.जी. वेंकटेश श्री कामाख्या प्रसाद तासा	23.11.2021
24.	रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा		श्री जी.वी.एल.	23.11.2021

	मंत्रालय		नरसिम्हा राव	
25.	जल शक्ति मंत्रालय		श्री स्वपन दास गुप्ता श्री एस. सेल्वागनवेथी	23.11.2021
26.	इस्पात मंत्रालय	श्री संजय सेठ	श्री दिनेशचंद जेमलभाई अनावाडीया	28.09.2021
27.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		श्री विनय दीनू तेंदुलकर	23.11.2021

परिशिष्ट - 13
(देखें पैरा 13.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 1,00,000/- प्रतिमाह (संसद सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 01/04/2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2018 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 70,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 60,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 20,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 40,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा। (इन भत्तों में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक कॉल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं तो जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा।

		सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितनी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों को लगाने और उनका किराया सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफ़ोन में से किसी एक पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली निवास पर वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड एफ.टी.टी.एच. का लाभ भी उठा सकता है कि बशर्ते इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को केवल रू.2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (होस्टल आवास सहित)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रूपये 1,00,000/- (रूपये 80,000/- स्थायी फर्नीचर + रूपये 20,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)

		प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/10/2010 से उस ब्याज दर पर जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, रूपये 4,00,000/- जिसे अधिकतम 5 वर्ष या सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के भीतर वापिस लिया जाएगा।
9.	यात्रा भत्ता	**रेल**: यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा। **वायुयान**: एक यात्री भाड़े के बराबर राशि। इसके अलावा नेत्रहीन/शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **स्टीमर** : स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक यात्री भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के)। **सड़क** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों तो सड़क यात्रा भत्ता। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा

		भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
10.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।

11.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी गई है कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय किया जाता है तो रू.16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी जाती है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा की राशि, जो भी कम हो, के हकदार हैं।
12.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: (क) उस सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट - 14
(देखें पैरा 13.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्ष से अधिक संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए बिना किसी अधिकतम सीमा के रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन बिना किसी अधिकतम सीमा के कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
4.	चिकित्सा	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व

	सुविधाएं	सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कॉल, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उसमें अधिक की गई खपत को समायोजित करने की अनुमति होगी।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन

राष्ट्रीय युवा संसद योजना

सत्यमेव जयते

संसदीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Parliamentary Affairs
Government of India